॥ जैन भवन ॥

तित्थयर

वर्ष : २९ अंक : २ मई २००५

ज्ञान से पदार्थों को जाना जाता है,
दर्शन से श्रद्धा होती है,
चारित्र से कमास्त्रव की रोक होती है,
और तप से शुद्धि होती है।

Sethia Oil Industries Ltd.

Manufacturers of De-oiled Rice Bran, Mustard Deoiled Cakes, Neem deoiled Powder, Ground-nut De-oiled Cakes, Mahua deoiled cakes etc. And Solvent Extracted Rice Bran Oil, Neem Oil, Mustard Oil etc.

Plant
Post Box No. 5
Lucknow Road
Sitapur - 261001 (U.P.)
Ph: 42017/42397/42073 (05862)
Gram - Sethia - Sitapur
Fax: 42790 (05862)

Registered Office
143, Cotton Street
Kol - 700 007
Ph: 238-4329/ 8471/5738
Gram - Sethia Meal

Executive Office
2, India Exchange Place
Kolkata - 700 001
Ph: 2201001/9146/5055
Telex: 217149 SOIN IN
FAX: 2200248 (033)

तित्थयर

श्रमण संस्कृति मूलक मासिक पत्रिका

वर्ष - २९ अंक - २, मई, २००५

लेख, पुस्तक समीक्षा तथा पत्रिका से सम्बन्धित पत्र व्यवहार के लिये
पता - Editor : Titthayar, P-25, Kalakar Street, Kolkata - 700 007
Phone : 2268-2655, Website : www.info@jainbhawan.com
e-mail : info@jainbhawan.com

विज्ञापन तथा सदस्यता के लिये कृपया सम्पर्क करें —
Secretary, Jain Bhawan, P-25, Kalakar Street, Kolkata - 700 007
Subscription for one year : Rs. 55.00, US$ 20.00,
for three years : Rs. 160.00, US$ 60.00,
Life Membership : India : Rs. 1000.00, Foreign : US$ 160.00

Published by Smt. Lata Bothra on behalf of Jain Bhawan from
P-25, Kalakar Street, Kolkata - 700 007, Phone : 2268-2655
and Printed by her at Arunima Printing Works, 81, Simla Street
Kolkata - 700 007 Phone : 2241-1006

संपादन
डॉ. लता बोथरा,

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	लेख	लेखक	पृ. सं.
१.	भगवान महावीर के जन्म, केवल्य एवं निर्वाण स्थल :	डॉ. सागरमल जैन	१४५
२.	प्राचीन स्मारकों की रक्षा के बहाने धर्मस्थानों पर सरकारी कब्जा	स्व. प्रभुदास बेचरदास पारेख	१५९
३.	वैर का विपाक		१६५
४.	निःशुल्क जैन साहित्य का प्रकाशन हो	भूरचन्द जैन	१७१

मूल्य - १०.०० रूपये

कवरपृष्ठ : जैसलमेर के ज्ञान भंडार से प्राप्त श्री सरस्वती देवी का चित्र।

Composed by:

Jain Bhawan Computer Centre, P-25, Kalakar Street Kolkata - 700 007

भगवान महावीर के जन्म, कैवल्य एवं निर्वाण स्थलः एक पुनर्विचार

— डॉ. सागरमल जैन

महावीर का जन्मस्थान :

जैन धर्म में चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर को एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में निर्विवाद रूप से मान्यता प्राप्त हो चुकी है। फिर भी दुर्भाग्य का विषय यह है कि न केवल उनके जन्म एवं निर्वाण काल के संबंध में अपितु उनके जन्मस्थान, कैवल्यज्ञान स्थल और निर्वाणस्थल को लेकर भिन्न-भिन्न प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं। मात्र यही नहीं इन मान्यताओं के पोषण के निमित्त भी परम्पराओं के घेरे में आबद्ध होकर येन-केन-प्रकारेण अपने पक्षों को सिद्ध करने के लिये प्रयत्न और पुरुषार्थ भी किया जा रहा हैं। विगत ५० वर्षों में इन सब समस्याओं को लेकर विभिन्न पुस्तिकाएं और लेख आदि भी लिखे गये हैं। यह कैसा दुर्भाग्य है कि भगवान महावीर के समकालीन भगवान बुद्ध के जन्मस्थल, ज्ञानप्राप्तिस्थल और धर्मचक्रप्रवर्तनस्थल को लेकर सम्पूर्ण बौद्ध समाज एकमत है और उन ऐतिहासिक स्थलों के विकास के लिए प्राणपन से जुटा हुआ हैं, जबकि जैन समाज आज अपने क्षुद्र स्वार्थों अथवा अहंकारों के पोषण के लिये इस संबंध में मतैक्य नहीं बना सका। भगवान महावीर के जन्म स्थल को लेकर वर्तमान में तीन मान्यताएं प्रचलित हैं—

१) अधिकांश विद्वज्जन एवं इतिहासवेत्ता एवं केन्द्रशासन वैशाली के निकट कुण्डग्राम को उनका जन्म स्थान मानते हैं।

२) दिगम्बर परम्परा राजगृह और नालन्दा के निकटवर्ती बड़गांव या तथाकथित कुण्डलपुर को महावीर का जन्मस्थल मानते हैं।

३) श्वेताम्बर परम्परा बिहार में जमुही के निकट लछवाड़ को महावीर का जन्म स्थान मान रही हैं।

इस प्रकार महावीर के जन्मस्थल को लेकर श्वेताम्बर और दिगम्बर परम्पराओं में एकमत भी नहीं हैं। दुर्भाग्य यह है कि इस संबंध में ऐतिहासिक और सम्प्रदाय निरपेक्ष दृष्टि से विचार करने का कोई प्रयत्न ही नहीं किया गया। यद्यपि इस संबंध में विद्वत् वर्ग एवं इतिहासविदों ने कुछ लेख आदि लिखे भी हैं, किन्तु पारम्परिक आग्रहों के चलते उनकी आवाज सुनी नहीं गई।

श्वेताम्बर और दिगम्बर पक्षों की ओर से भी महावीर के जन्म स्थल को लेकर कुछ लेख एवं पुस्तिकाओं का प्रकाशन भी हुआ है और उनमें अपने-अपने पक्षों के समर्थन में कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया हैं, किन्तु सामान्यतया जो प्रमाण प्रस्तुत किये गये है वे सभी परवर्तीकालीन ही हैं। प्राचीनतम साहित्यिक एवं पुरातात्विक प्रमाणों को जानने का ही प्रयत्न नहीं किया गया या अपने पक्ष के विरोध में लगने के कारण उनकी उपेक्षा कर दी गई। भगवान् महावीर के संबंध में जो प्राचीनतम प्रमाण उपलब्ध हैं उनमें आचारांग प्रथम श्रुतस्कन्ध लगभग (ई. पू. ५वीं शताब्दी), आचारांग द्वितीय श्रुतस्कन्ध लगभग (ई. पू. प्रथम–द्वितीय शताब्दी), सूत्रकृतांग (ई. पू. दूसरी–तीसरी शताब्दी), कल्पसूत्र (ई. पू. लगभग दूसरी शताब्दी) हैं। कल्पसूत्र में महावीर के विशेषणों की चर्चा उपलब्ध हैं। उसमें उन्हें ज्ञात ज्ञातपुत्र, ज्ञातृकुलचंद, विदेह, विदेहदिन्ने अर्थात् विदेहदिन्ना के पुत्र, विदेहजात्य, विदेहसुकुमार आदि विशेषणों से संबोधित किया गया हैं।[१] ज्ञातव्य है कि ये ही सब विशेषण आचारांग द्वितीय श्रुतस्कन्ध के पन्द्रहवें अध्याय में भी उपलब्ध है (देखे–आचारांगसूत्र द्वितीय श्रुतस्कन्ध–मुनि आत्मारामजी–लुधियाना पृ. १३७३)। इस विशेषणों में भी विदेहजात्य विशेषण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि एक बार वैदेही या वैदेही के पुत्र मानकर यह मान लिया जाय कि ये विशेषण उन्हें उनके मातृपक्ष के कारण दिये गये हो, किन्तु जो विदेहजात्य विशेषण है वह तो स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित करता है कि महावीर का जन्म विदेह क्षेत्र में ही हुआ था, जबकि वर्तमान में मान्य नालंदा के समीप वाला कुण्डलपुर तथा लछवाड़ दोनों ही मगध क्षेत्र में आते है। वे किसी भी स्थिति में विदेह के अन्तर्गत नहीं माने जा सकते। अतः महावीर का जन्म स्थान यदि किसी क्षेत्र में खोजा जा सकता है तो वह विदेह का ही भाग होगा, मगध का नहीं हो सकता।

इसी प्रसंग में कल्पसूत्र में यह भी कहा गया है कि **'तीसं वासाइं विदेहंसि कट्टु'** अर्थात् ३० वर्ष विदेह क्षेत्र में व्यतीत करने के पश्चात् माता-पिता के स्वर्गगमन के बाद गुरू एवं वरिष्ठजनों की अनुज्ञा प्राप्त करके उन्होंने प्रव्रज्या ग्रहण की।[२]

महावीर का विदेहजात्य होना और गृहस्थावस्था के ३० वर्ष विदेह क्षेत्र में व्यतीत करना ये दोनों सबल प्रमाण है जिससे उनके कुण्डलपुर (नालन्दा) और लछवाड़ में जन्म लेने एवं दीक्षित होने की अवधारणा निरस्त हो जाती हैं। श्री सीताराम राय ने महावीर के जन्म स्थान को लछवाड़ सिद्ध करने के लिए और वहीं से दीक्षित होकर कुछ ग्रामों में अपनी विहार यात्रा करने का संकेत देते हुए उन ग्रामों के नामों की समरूपता को चूर्णि के आधार पर सिद्ध करने का प्रयत्न भी किया। किन्तु उनके इस प्रयत्न की अपेक्षा जिन विद्वानों ने उनका जन्म स्थान वैशाली के निकट कुण्डग्राम बताया है और आवश्यकचूर्णि के माध्यम से उनके दीक्षित होने के पश्चात् ही विहार यात्रा के ग्रामों का समीकरण कोल्लागसन्निवेश (वर्तमान कोल्हुआ) आदि से किया है वह अधिक युक्तिसंगत प्रतीत होता हैं। कोल्लाग को सन्निवेश कहने का तात्पर्य यही है कि वह किसी बड़े नगर का उपनगर (कॉलोनी) था और यह बात वर्तमान में वैशाली के निकट उसकी अवस्थिति से बहुत स्पष्ट हो जाती है। कल्पसूत्र में उनके दीक्षा स्थल का उल्लेख करते हुए स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि उन्होंने ज्ञातृखण्डवन में अशोक वृक्ष के नीचे दीक्षा स्वीकार की।[३] इससे यह भी सिद्ध होता है कि ज्ञातृ खण्डवन ज्ञातृवंशीय क्षत्रियों के अधिकार का वन क्षेत्र था और ज्ञातृवंशीय क्षत्रिय जिनका कुल लिच्छवी था, वैशाली के समीप ही निवास करते थे। आज भी उस क्षेत्र में जथेरिया क्षत्रियों का निवास देखा जाता हैं। जथेरिया शब्द मूलतः ज्ञातृ का ही अपभ्रंश रूप हैं, अतः यह सिद्ध होता है कि महावीर का जन्म स्थान वैशाली के निकट कुण्डलपुर ही हो सकता है। वैशाली से जो एक मुहर प्राप्त हुई हैं उसमें स्पष्ट रूप से वैशालीकुण्ड ऐसा उल्लेख हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि क्षत्रिय कुण्ड, ब्राह्मण कुण्ड, कोल्लाग आदि वैशाली के ही उप नगर थे। वैशाली गणतंत्र था और इन उपनगरों के नगर प्रमुख भी राजा ही कहे जाते होगें। अतः भगवान् महावीर के पिता सिद्धार्थ को राजा मानने में कोई आपत्ति नहीं आती। पुनः

कल्पसूत्र में उन्हें राजा न कहकर मात्र क्षत्रिय कहा गया हैं। भगवान् महावीर का जन्म स्थान वैशाली का निकटवर्ती कुण्डग्राम ही हो सकता है, इसका एक प्रमाण यह भी है कि भगवान महावीर को सूत्रकृतांग जैसे प्राचीन आगम में (१/२/३/२२) ज्ञातृपुत्र के साथ-साथ वैशालिक भी कहा गया हैं। उनके वैशालिक कहे जाने की सार्थकता तभी हो सकती है जबकि उनका जन्म स्थल वैशाली के निकट हो।

एवं से उदाहु अणुत्तरणाणी अणुत्तरदसी अणुत्तरणाणदंसणधरे।
अरहा-णायपुत्ते भगवं वेसालिए वियाहिए ।।

—सूत्रकृतांक १/२/३/२२

कुछ लोगों का यह तर्क की उनके मामा अथवा नाना चेटक वैशाली के अधिपति थे अथवा माता वैशालिक थी इसलिये उन्हें वैशालिक कहा गया। किन्तु यह तर्क समुचित नहीं हैं, क्योंकि मामा या नाना के गांव के निवास स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति को तद् नाम से पुकारे जाने की परम्परा नहीं रही हैं। दूसरे हम यदि यह भी मान ले कि महावीर का ननिहाल वैशाली था और इसलिये वे वैशालिक कहे जाते है तो एक संभावना यह भी मानी जा सकती है कि अपने ननिहाल में जन्म होने के कारण उन्हें वैशालिक कहा गया हो। नाता के पितृगृह अथवा संतान के ननिहाल में जन्म लेने की परम्परा तो वर्तमान में भी देखी जा सकती हैं। किन्तु जैसा पूर्व में कहा है कि उन्होंने तीस वर्ष तक विदेह में निवास करने के पश्चात् दीक्षा ग्रहण की (कल्पसूत्र ११० प्रा. भा. सं. पृ. १६०) इस आधार पर यह बात पूर्णतः निरस्त हो जाती है कि उन्हें अपने ननिहाल के कारण वैशालिक कहा जाता था।

एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह उठाया जाता है कि महावीर के पिता राजा थे। किन्तु प्रश्न यह है कि वे किस प्रकार के राजा थे— स्वतंत्र राजा थे या गणतंत्र के राजा थे। उन्हें स्वतंत्र राजा नहीं माना जा सकता । क्योंकि कल्पसूत्र में अनेक स्थलों पर तो 'सिद्धत्थे खत्तिये' अर्थात् 'सिद्धार्थ क्षत्रिय' ही कहा गया है।[४] राजगृह का मगध राजवंशी साम्राज्यवादी था, जबकि वैशाली की परम्परा गणतंत्रात्मक थी। गणतंत्र में तो समीपवर्ती क्षेत्रों में छोटे-छोटे गांवों में स्वायत शासन व्यवस्था संभव थी, परन्तु साम्राज्यवादी

राजतंत्रों में यह संभावना नहीं हो सकती। अत: हम नालंदा के समीपवर्ती कुण्ड़लपुर को अथवा लछवाड़ को महावीर का जन्मस्थान एवं पितृगृह स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि मगध का साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसके निकटवर्ती नालंदा या लछवाड़ में स्वतंत्र राजवंश संभव नहीं। वैशाली गणतंत्र में उसकी महासभा में ७७०७ गणराजा थे।[५] यह उल्लेख भी त्रिपिटक साहित्य में मिलता हैं। अत: महावीर के पिता सिद्धार्थ को गणराजा मानने में कोई आपत्ति नहीं आती। क्षत्रियकुण्ड के वैशाली के समीप होने से या उसका अंगीभूत होने से महावीर को वैशालिक कहा जाना तो संभव होता है। यदि महावीर का जन्म नालंदा के समीप तथाकथित कुण्डलपुर में हुआ होता तो उन्हें या तो नालंदीय या राजगृहिक ऐसा विशेषण मिलता था, वैशालिक नहीं। जहां तक साहित्यिक प्रमाणों का प्रश्न हैं गणणीज्ञानमति माताजी एवं प्रज्ञाश्रमणी चंदनमतिजी ने नालंदा के समीपवर्ती तथाकथित कुण्डलपुर को महावीर की जन्मभूमि सिद्ध करने के लिये पुराणों और दिगम्बर मान्य आगम ग्रन्थों से कुछ सन्दर्भ दिये हैं। राजमलजी जैन से इसके प्रतिपक्ष में महावीर की जन्मभूमि कुण्डलपुर नामक पुस्तिका लिखी और उन प्रमाणों की समीक्षा भी की हैं। हम उस विवाद में उलझना तो नहीं चाहते है, किन्तु एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेना आवश्यक है कि दिगम्बर परम्परा के आगम तुल्य ग्रन्थ कषायपाहुड़, षट्खण्डागम आदि के जो प्रमाण इन विद्वानों ने दिये है, उन्हें यह ज्ञात होना चाहिये कि इन दोनों ग्रन्थों के मूल में कही भी महावीर के जन्मस्थान आदि के सन्दर्भ में कोई उल्लेख नहीं हैं। जो समस्त उल्लेख प्रस्तुत किये जा रहे हैं वे उनकी जयधवला और धवला टीकाओं से है जो लगभग ९वीं-१०वीं शताब्दी की रचनाएं हैं। इसी प्रकार जिन पुराणों से सन्दर्भ प्रस्तुत किये जा रहे हैं वे भी लगभग ९वीं शताब्दी से लेकर १६वीं शताब्दी के मध्य रचित हैं। अत: ये सभी प्रमाण चूर्णि साहित्य से भी परवर्ती ही सिद्ध होते हैं। अत: उन्हें ठोस प्रमाणों के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। केवल सहायक प्रमाण ही कहे जा सकते । इस संदर्भ में श्री राजमलजी जैन ने इस बात को भी बहुत स्पष्ट रूप से सिद्ध किया है कि इन प्रमाणों में भी एक दो अपवादों को छोड़कर सामान्यतया कुण्डपुर का ही उल्लेख हैं। कुण्डलपुर के उल्लेख तो

विरल ही है और जो है वे भी मुख्यतया परवर्ती ग्रन्थों के ही हैं। यहाँ हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब क्रमशः महावीर के जीवन के साथ चमत्कारिक घटनाएं जुड़ती गई, तो अहोभाव के कारण क्षत्रियकुण्ड और ब्राह्मणकुण्ड को भी नगर या पुर कहा जाने लगा। यदि हम कल्पसूत्र (पृष्ठ ४४) को भी आधार माने तो स्पष्ट रूप से क्षत्रियकुण्डग्राम और ब्राह्मणकुण्डग्राम का ही उल्लेख हैं। हां यहाँ इन्हें जो 'खत्तीयकुण्डगामेनयरे' कहा गया है उसमें ग्राम नगर शब्द से यही भाव अभिव्यक्त होता है कि ये दोनों मूलतः तो ग्राम ही थे किन्तु वैशाली नगर के निकटवर्ती होने के कारण इन्हें ग्राम नगर संज्ञा प्राप्त हो गई थी। वर्तमान में भी किसी बड़े नगर के विस्तार होने पर उसमें समाहित गांव नगर नाम को प्राप्त हो जाते हैं। वस्तुतः क्षत्रियकुण्ड ही महावीर की जन्मभूमि प्रतीत होती है और स्पष्टतया यह वैशाली का ही एक उपनगर सिद्ध होता हैं। ज्ञातव्य है कि वैशाली का मूल नाम विशाला था। विशाल् नगर होने के कारण ही इसका नाम वैशाली पड़ा था। पुरातात्विक साक्ष्यों की दृष्टि से वैशाली, नालंदा और लछवाड़ (जो जमुई के निकट हैं) की प्राचीनता में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। किन्तु प्राचीन साहित्य में नालंदा के समीप किसी कुण्डपुर या कुण्डलपुर का कोई उल्लेख प्राप्त नहीं हैं। वर्तमान लछवाड़, जो जमुई के निकट है और जमुई के संबंध में साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही प्रमाण उपलब्ध हैं। कल्पसूत्र में भगवान महावीरस्वामी के केवलज्ञान स्थान का जो उल्लेख मिलता है उसमें यह कहा गया है कि जंभीयगामस्स अर्थात् जम्भिक ग्राम के बाहर ऋजुवालिका नदी के किनारे वैय्यावृत्त चैत्य के न अधिक दूर न अधिक समीप शामक गाथापति के काष्टकरण में शालवृक्ष के नीचे गौदोहिक आसान में उकड़ूँ बैठे हुए आतापना लेते हुए षष्टभक्त उपवास से युक्त हस्तोत्तरा नक्षत्र का योग होने पर वैशाख शुक्ला दशमी को अपराह्न में भगवान महावीर को केवलज्ञान हुआ था।[६]

इससे वर्तमान लछवाड़ की विशेष रूप से जृम्भिका ग्राम की प्राचीनता तो सिद्ध हो जाती है किन्तु यह महावीर का जन्मस्थल है यह बात सिद्ध नहीं होती हैं। प्राचीन जो भी उल्लेख है वे मूलतः क्षत्रियकुण्ड से संबंधित ही हैं। वैशाली के समीप वासोकुण्ड को महावीर का जन्मस्थल मानने के संबंध में

केन्द्रिय शासन और इतिहासज्ञ वर्ग ने जो निर्णय लिया है, वह समुचित प्रतीत होता है।

इसका एक प्रमाण यह भी है कि वैशाली से प्राप्त एक मुद्रा पर वैशालीनामकुण्डे ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि वैशाली के निकट कोई कुण्डग्राम रहा होगा और यही कुण्डग्राम क्षत्रियकुण्ड और ब्राह्मणकुण्ड ऐसे दो विभागों में विभाजित रहा होगा। अतः भगवान महावीर के जन्म स्थान को वैशाली के निकटवर्ती वासोकुण्ड को ही क्षत्रियकुण्ड मानना चाहिये। इस संबंध में एक परम्परागत अनुश्रुति यह भी है कि वासोकुण्ड के उस स्थल को जिसे महावीर का जन्म स्थान माना गया है उस पर आज तक भी हल नहीं चलाया गया है और वहां के निवासी शासकीय एवं विद्वानों के निर्णय के पूर्व भी उस स्थान को महावीर की जन्मभूमि के रूप में उल्लेखित करते रहे हैं। जहां तक नालंदा के समीपवर्ती कुण्डलपुर का प्रश्न है उसे तो महावीर का जन्मस्थल नहीं माना जा सकता, क्योंकि महावीर जब-जब भी राजगृही आते थे तब-तब वर्षावास के लिये नालंदा को ही प्रमुखता देते थे। अतः यह तो स्वाभाविक है कि नालंदा के साथ महावीर की स्मृतियां जुड़ी रही हैं। किन्तु उसे उनकी जन्मभूमि स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि न तो वहां ज्ञातृवंशीय क्षत्रियों का आवास ही था और न मगध जैसे साम्राज्य की राजधानी के एक उपनगर में किसी अन्य राजा का राज्य होने की संभावना थी। जमुई के निकटवर्ती लछवाड़ को लछवाड़ नाम कब मिला यह गवेषणा का विषय हैं। जमुई की प्राचीनता तो निर्विवाद है और उसका संबंध भी महावीर के केवलज्ञान स्थल का निकटवर्ती होने से महावीर के साथ जुड़ा हुआ हैं। किन्तु उसे महावीर का जन्मस्थान न मानकर आगमिक प्रमाणों के आधार पर केवलज्ञान स्थल ही माना जा सकता। इस संबंध में विस्तृत चर्चा महावीर की कैवल्यभूमि के प्रसंग में करेंगे।

श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों ही परम्पराओं के ग्रन्थों में क्षत्रियकुण्ड या कुण्डपुर की अवस्थिति विदेहक्षेत्र में बताई गई हैं। इस तथ्य की पुष्टि दिगम्बर परम्परा के कुछ ग्रन्थों के सन्दर्भ श्री राजमलजी जैन ने प्रस्तुत किये हैं। पूज्यपाद देवनंदी की निर्वाणभक्ति में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि सिद्धार्थ राजा के पुत्र ने भारत देश के विदेह कुण्डपुर में देवी प्रियकारिणी

को सुखद स्वप्न दिखाए और चैत्र शुक्ला त्रयोदशी को उसने उन्हें जन्म दिया। इसी प्रकार आचार्य जिनसेन ने (नवीं शती) हरिवंश पुराण में भारत देश के विदेह क्षेत्र के कुण्डपुर में महावीर के जन्म का उल्लेख किया हैं। इसी क्रम में उत्तरपुराण के रचियता गुणभद्र ने (विक्रम की दसवीं शताब्दी) महावीर के जन्म स्थान कुण्डपुर को भारत के विदेह क्षेत्र में अवस्थित बताया हैं। इसी पुराण के ७५वें सर्ग में भी 'विदेहविषयेकुण्डसंज्ञायां' पुरी के रूप में उल्लेखित किया गया हैं। आचार्य पुष्पदंत ने वीरजिनंदचरिउ (विक्रम की ग्यारहवीं शताब्दी) में वैशाली कुण्डपुरे ऐसा उल्लेख किया हैं। इससे भी ऐसा लगता है कि महावीर की जन्म स्थली कुण्डपुरी वैशाली के निकट ही रही। इसी प्रकार दामनंदी ने (१०वीं - ११वीं शताब्दी) महावीर के जन्म स्थान कुण्डपुर को विदेह में स्थित बताया हैं। इसी तथ्य को असग (ग्यारहवीं शताब्दी) ने वर्धमान चरित्र में पुष्ट किया हैं। वे भी महावीर की जन्मस्थली कुण्डपुर की अवस्थिति विदेह क्षेत्र में बताते हैं। श्रीधर रचित वड्ढमानचरिउ (लगभग बारहवीं शती) में भी कुण्डपुर को विदेह क्षेत्र में माना गया हैं। सकलकीर्ति ने वर्धमान चरित्र में कुण्डपुर को विदेह क्षेत्र में अवस्थित माना हैं। पुनः मुनि धर्मचंद ने गौतमचरित्र (१७वीं शताब्दी) में कुण्डपुर को भरतक्षेत्र में विदेह प्रदेश के अन्तर्गत स्वीकार किया हैं। इस प्रकार हम देखते है कि लगभग ईसा की ५वीं शताब्दी से लेकर १७वीं शताब्दी तक दिगम्बर आचार्य एवं भट्टारक कुण्डपुर को विदेह ट्टा क्षेत्र में अवस्थित ही मान रहे हैं। ज्ञातव्य है कि यहां हमने केवल उन्हीं सन्दर्भों को उल्लेखित किया है, जिनमें कुण्डपुर को स्पष्ट रूप ये विदेह क्षेत्र में अवस्थित बताया गया हैं। महावीर के जन्मस्थल कुण्डपुर होने के तो अन्य भी कई सन्दर्भ है, जिसकी चर्चा श्री राजमल जैन ने की हैं। वस्तुतः महावीर का जन्मस्थल विदेहक्षेत्र में स्थित वैशाली का निकटवर्ती कुण्डपुर नामक उपनगर ही रहा हैं।

यह सत्य है कि परवर्ती साहित्य में कहीं-कहीं कुण्डपुर के कुछ उल्लेख मिलते हैं। जिनकी स्पष्ट समीक्षा श्री राजमलजैन ने की हैं। हम यहां कुण्डपुर और कुण्डलपुर के विवाद में नहीं पड़ना चाहते। श्वेताम्बर सन्दर्भ तो मूलतः कुण्डग्राम के ही हैं, और उसमें भी स्पष्ट रूप से क्षत्रियकुण्ड के हैं। श्वेताम्बर परम्परा में १४वीं शताब्दी में आचार्य जिनप्रभसूरि ने

विविधतीर्थकल्प की रचना की थी। उन्होंने भी महावीर का जन्मस्थल कुण्डग्राम ही उल्लेखित किया हैं। श्री राजमलजी जैन ने अपनी पुस्तक महावीर की जन्म भूमि कुण्डपुर में जो यह उल्लेख किया है कि कुण्डपुर ही १३वीं शताब्दी तक कुण्डग्राम हो गया होगा, यह उनकी भ्रान्ति हैं। जैसा कि हमने पूर्व में उल्लेख किया है कल्पसूत्र आदि में स्पष्ट रूप से कुण्डग्राम का ही उल्लेख है, कुण्डपुर का नहीं। हाँ इतना अवश्य है कि आगमों के कुण्डपुरग्रामनगर ऐसा उल्लेख भी मिलता हैं। मेरी दृष्टि में ग्राम, नगर ऐसा समासपद ग्रहण करनेपर इसका अर्थ नगर का समीपवर्ती गांव या वह गांव कालान्तर में किसी नगर का भाग या उपनगर बन गया हो।

यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि गणनी ज्ञानमति माताजी ने भी कुण्डलपुर का पक्ष लेते हुए भी उसे विदेह में स्थित तो माना ही हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि, क्या दिगम्बर परम्परा के द्वारा मान्य नालंदा के समीप स्थित कुण्डलपुर अथवा श्वेताम्बर परम्परा के द्वारा मान्य जमुई के निकटवर्ती लछवाड़ को विदेह क्षेत्र में स्थित माना जा सकता हैं? प्राचीन भारत के भूगोल का अध्ययन करने पर यह बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि वर्तमान कुण्डलपुर और लछवाड़ दोनों ही मगध क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। वे किसी भी स्थिति में विदेह क्षेत्र में स्थित नहीं माने जा सकते। क्यों प्राचीन भारतीय भूगोल के अनुसार विदेहक्षेत्र की सीमा का स्पष्ट रूप से निर्धारित थी। इसकी पश्चिमी सीमा गण्डकी नदी (वर्तमान धाधरा) और पूर्वी सीमा कोशिकी नदी थी। दक्षिण में विदेह क्षेत्र की सीमा निर्धारण गंगा नदी और उत्तर में हिमालय पर्वत निर्धारित करता था। यदि महावीर के जन्म स्थान की खोज कहीं करनी होगी तो इस विदेह क्षेत्र की सीमा में ही करनी होगी और यह एक सुनिश्चित सत्य है कि नालंदा समीपस्थ कुण्डलपुर और जमुई के समीप स्थित लछवाड़ दोनों ही विदेह क्षेत्र की सीमा के बाहर है और मगध क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत आते हैं। अतः साहित्यिक प्रमाण स्पष्ट रूप से वैशाली के निकट वर्तमान वासुकुण्ड के पक्ष में ही जाते हैं। पुरातात्विक दृष्टि से जैसा कि हमने पूर्व में उल्लेख किया है कि नालंदा जमुई और वैशाली तीनों ही अपना अस्तित्व ई. पू. ६वीं शताब्दी में रखते हैं। यह भी सत्य है कि भगवान महावीर जब भी राजगृही आये है और यहां वर्षावास

का निश्चय किया है तो उन्होंने अपना चातुर्मास स्थल नालंदा को ही चुना। पुरातात्विक साक्ष्यों से यह भी सिद्ध है कि महावीर के काल में नालंदा राजगृही का एक उपनगर या सन्निवेश माना जाता था। वर्तमान में जो बड़गांव कुण्डलपुर में दिगम्बर और श्वेताम्बर मंदिर है उनमें स्थित प्रतिमाएं सोलहवीं शताब्दी के पूर्व की नहीं हैं। नालंदा की प्राचीनता के संबंध में जो पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध होते है वे अधिकांश बौद्ध परम्परा से ही संबद्ध हैं। जैन परम्परा से संबद्ध अभी तक कोई भी ऐसा पुरातात्विक प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है जो महावीर के जन्मस्थल पर स्थित किसी प्राचीन मंदिर आदि की अवस्थिति को सिद्ध करे। इसी प्रकार जमुई के निकट स्थित लछवाड़ में प्राचीन अवशेष उपलब्ध होते हैं। लेखक स्वयं जिस समय लछवाड़ गया था उस समय वहां नये मंदिर के निर्माण के लिये प्राचीन मंदिर को गिरा दिया गया था। यद्यपि जिस मंदिर को गिराया गया था, वह तो अतिप्राचीन नहीं था, किन्तु उसके नीचे जो चबूतरा था उस चबूतरे में तथा उस चबूतरे को खोदने पर निकली साम्रगी में लेखक को कुछ प्राचीन ईंटों के खण्ड उपलब्ध हुए थे जो कम से कम मौर्य काल के पश्चात् के और गुप्ता काल के पूर्व के थे। मंदिर में जो मूलनायक महावीर स्वामी की प्रतिमा थी, वह स्पष्ट रूप से पालकालीन अर्थात् - ९-१०वीं शताब्दी की थी। इससे यह तो निश्चित होता है कि लछवाड़ में महावीर की स्मृति में ही प्राचीनकाल में कोई मंदिर अवश्य बना था, किन्तु यह महावीर का जन्मस्थल था यह स्वीकार करने में अनेक बाधाएं हैं। इस संबंध में डॉ. सीताराम राय का एक लेख श्रमण, अगस्त १९८९ में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने लछवाड़ को महावीर का जन्म स्थान स्वीकार किये जाने के सन्दर्भ में एक तर्क यह दिया है कि कल्पसूत्र का कुण्डग्राम पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित था जबकि वैशाली के पास वसुकुण्ड में पहाड़ों का नामो-निशान नहीं हैं। किन्तु लेखक ने यह निर्णय कैसे ले लिया कि कल्पसूत्र में कुण्डग्राम को पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित बताया गया हैं। कल्पसूत्र में एवं आचारांग सूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में महावीर के जन्म स्थल का पहाड़ी क्षेत्र में अवस्थित होना कहीं भी उल्लेखित नहीं हैं। इसी प्रकार लेखक ने यह भी लिखा है कि महावीर गृहस्थ जीवन के परित्याग के अवसर पर कुण्डग्राम का परित्याग कर उससे उत्तर-

-पश्चिम की ओर पहाड़ की ओर ज्ञातृखण्डवन पहुँचने का वर्णन मिलता हैं, किन्तु यहां भी पहाड़ की कल्पना लेखक की कल्पना है। आचारांग, कल्पसूत्र यहां तक की आवश्यकचूर्णि में भी जहां ज्ञातीय वनखण्ड का उल्लेख है, वहां भी कहीं पहाड़ आदि होने का उल्लेख नहीं हैं। सीताराम राय ने जमई अनुमण्डल के लछवाड़ को जो महावीर का जन्म स्थल मानने का प्रयत्न किया है और उसकी पुष्टि में आवश्यकचूर्णि में उल्लेखित उनकी विहारयात्रा के कुछ गांव यथा – कुमार, कोल्लागं, मोरक, अस्थिय ग्राम का समीकरण वर्तमान कुमार, कोन्नाग, मोरा और अस्थावा से करने का जो प्रयत्न किया है, वह नाम साम्य को देखकर तो थोड़ा सा विश्वसनीय प्रतीत होता है किन्तु जब हम इनकी दूरियों का विचार करते है तो वैशाली के निकटवर्ती कुमार, कोल्हुवा, अस्थिय गांव आदि से ही अधिक संगति मिलती हैं। वर्तमान में भी भिन्न-भिन्न प्रदेशों और मण्डलों में समान नाम वाले गांवो के नाम उपलब्ध हो जाते हैं। वस्तुतः डॉ. सीताराय ने जो समीकरण बनाने का प्रयास किया है वह दूरियों के हिसाब से समुचित नहीं हैं। उन्होंने जमुई से वर्तमान पावा की आगमों में उल्लेखित १२ योजन की दूरी को आधुनिक पावापुरी से समीकृत करने का जो प्रयत्न किया है वह तो किसी भी रूप में मान्य नहीं हो सकता। लेखक ने स्वयं भी जमुई से पावापुरी तक की यात्रा की हैं। बारह योजन की दूरी का तात्पर्य लगभग १६० कि. मी. होता है, जबकि जमुई से पावापुरी की दूरी मात्र ६० कि.मी. के लगभग हैं। अतः चाहे जमुई को महावीर का केवलज्ञान का स्थान मान भी लिया जाय तो उससे वर्तमान पांवा की दूरी आगमिक आधारों पर समुचित सिद्ध नहीं होती।

वर्धमान महावीर के वैशालिक होने का एक अन्य प्रमाण हमें थेरगाथा की अट्ठकथा (व्याख्या) में मिलता हैं। थेरगाथा में वर्धमान थेर का उल्लेख हैं। उनमें कहा गया है कि दान के पुण्य के परिणाम स्वरूप वर्धमान देवलोक से च्युत होकर गौतमबुद्ध के जन्म लेने पर वैशाली के लिच्छवी राजकुल में उत्पन्न होकर प्रव्रज्या ग्रहण की। (इमस्मिं बुद्धुप्पादे वेसालियं लिच्छवि राजकुले निब्बत्ति वडढमानो तिस्स नामं अहोसि —। थेरगाथा अट्ठकथा नालन्दा संस्करण पृ. १५३) इस प्रकार यहां उन्हें वैशाली के लिच्छवी

राजकुल में जन्म लेने वाला बताया गया। यद्यपि परम्परागत विद्वानों का यह विचार हो सकता है कि यह वर्धमान बौद्ध परम्परा में दीक्षित कोई अन्य व्यक्ति होंगे, किन्तु हमारा यह स्पष्ट अनुभव है कि जिस प्रकार ऋषिभाषित सभी अर्हतऋषि निर्ग्रन्थ परम्परा के नहीं है, उसी प्रकार थेरगाथा में वर्णित सभी स्थविर बौद्ध नहीं हैं। वैशाली के लिच्छवी राजकुल में उत्पन्न बुद्ध के समकालिक वर्धमान थेर वर्धमान महावीर से भिन्न नहीं माने जा सकते। थेरगाथा की अट्ठकथा के अनुसार उन्होंने आंतरिक और बाह्य संयोगों को छोड़कर, रूपराग, अरूपराग तथा भवराग को समाप्त करने का उपदेश दिया तथा यह कहा है कि अनुकूल और प्रतिकूल परस्थितियों को साक्षीभाव से देखते हुए भवराग और संयोजनो का प्रहाण संभव हैं। क्योंकि उनके ये विचार आचारांग एवं उत्तराध्ययन में भी मिलते हैं। इस उपदेश से यह स्पष्ट हो जाता है कि थेरगाथा में वर्णित वर्धमान थेर अन्य कोई नहीं, अपितु वर्धमान महावीर ही हैं। इस आधार पर भी यह सिद्ध होता है कि महावीर का जन्म वैशाली के लिच्छवी कुल में हुआ था। महावीर के प्रवर्जित होने का उल्लेख करते समय यहां स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि संवेग (वैराग्य) उत्पन्न होने पर उन्होंने अग्निकर्म का त्याग करके संघ से क्षमायाचना* करके कर्म परम्परा को देख करके प्रव्रज्या ग्रहण की। यह समग्र कथन भी जैन (निर्ग्रन्थ) परम्परा के अनुकूल ही हैं। अतः इससे भी यही सिद्ध होता है कि थेरगाथा के वैशाली के लिछवी कुल उत्पन्न वर्धमान थेर वर्धमान महावीर ही हैं। इस प्रकार बौद्ध त्रिपिटक साहित्य भी महावीर के जन्म स्थल के रूप में विदेह के अन्तर्गत वैशाली को ही मानते हैं।

पाश्चात्य विद्वानों में हरमनजैकोबी, हार्नले, विसेण्टस्मिथ, मुनिश्री कल्याणविजयजी, डॉ. जगदीशचन्द्र जैन, ज्योतिप्रसाद जैन, पं. सुखलालजी आदि जैन-अजैन सभी विद्वान वैशाली के निकटस्थ कुण्डग्राम को ही महावीर का जन्म स्थल मानते हैं।

बौद्धग्रन्थ महावग्ग (ईस्वीपूर्व ५वीं शती) में वैशाली के तीन क्षेत्र माने गये हैं। १. वैशाली, २. कुण्डपुर एवं ३. व्राणिज्यग्राम। महावीर का

---

* ज्ञातव्य है आचारांग सूत्र में भी दीक्षा ग्रहण करते समय महावीर यह निर्णय लेते है कि मैं सबके प्रति क्षमाभाव रखूंगा – – (सम्मं सहिस्सामि इर्वामिस्सामि)।

लिच्छवी राजकुल में जन्म मानने पर भी यह स्पष्ट है कि महावग्ग के अनुसार वैशाली में ७७०७ राजा थे। अत: महावीर के पिता को राजा मानने में बौद्ध साहित्य से भी कोई आपत्ति नहीं हैं। क्योंकि वहाँ राजा शब्द का अर्थ वैशाली महासंघ की संघीय सभा का सदस्य होना ही हैं।

कुण्डग्राम की वसुकुण्ड से समानता के संबंध में डॉ. श्यामानंद प्रसाद की यह आपत्ति की वसुकुण्ड में केवल कुण्ड शब्द की ही समानता है, वसु शब्द न तो ब्राह्मण का पर्यायवाची हो सकता है, न क्षत्रिय का। अत: उनका कहना है कि वर्तमान वसुकुण्ड को महावीर का जन्म स्थान नहीं माना जा सकता। किन्तु डॉ. प्रसाद ने मूलआगम साहित्य को शायद देखने का प्रयास नहीं किया। आचारांगसूत्र में वसु[७] और वीर[८] शब्द का प्रयोग श्रमण के अर्थ में हुआ हैं। मात्र यही नहीं वसु शब्द का एक अर्थ जिनदेव या वीतराग भी उपलब्ध होता हैं। वस्तुत: यह संभव है कि भगवान महावीर के संयमग्रहण करने के बाद इस क्षेत्र को क्षत्रियकुण्ड के स्थान पर वसुकुण्ड कहा जाने लगा। वर्तमान लछवाड़ के समीप जो ब्राह्मणकुण्ड और क्षत्रियकुण्ड की कल्पना की गई है वहां इस तरह की कोई बसाहट नहीं है। महना को ब्राह्मणकुण्ड भी नहीं माना जा सकता। ब्राह्मणकुण्ड और क्षत्रियकुण्ड नाम तो उन्हें महावीर के जन्मस्थल मान लेने पर दिये गये हैं। इस प्रकार मेरी यह सुनिश्चित धारणा है कि लछवाड़ के समीप जमुई मण्डल के इस क्षेत्र का संबंध महावीर के साधना एवं केवलज्ञान स्थल से अवश्य रहा हैं। यह भी सत्य है कि जिसे वर्तमान में लछवाड़ उसका संबंध लिच्छविया से हो सकता है, किन्तु इस नाम की भी प्राचीनता कितनी है यह शोध का विषय हैं। डॉ. प्रसाद का यह मानना समुचित नहीं है कि वैशाली को महावीर के जन्म स्थान के रूप में मान्यता १९४८ में मिली। इसके पूर्व भी विद्वानों ने वैशाली के निकट और विदेह क्षेत्र में महावीर का जन्म स्थान होने की बात कही हैं। यह निश्चित है कि लगभग १५-१६वीं शती से श्वेताम्बर परम्परा में लछवाड़ के समीपवर्ती क्षेत्र को महावीर के जन्म स्थान मानने की परम्परा विकसित हुई हैं। भगवान महावीर ने अर्धमागधी भाषा में अपना प्रवचन दिया था इसलिये वे मगध क्षेत्र के निवासी होना चाहिए, ऐसी जो मान्यता लछवाड़ के पक्ष में दी जाती है वह भी समुचित नहीं हैं। यह स्मरण रखना चाहिये कि

महावीर की भाषा मागधी न होकर अर्धमागधी हैं। यदि महावीर का जन्म और विचरण केवल मगध क्षेत्र में ही हुआ होता तो वे मागधी का ही उपयोग करते, अर्धमागधी का नहीं। अर्धमागधी स्वयं ही इस बात प्रमाण है कि उनकी भाषा में मागधी के अतिरिक्त अन्य समीपवर्ती क्षेत्रों की भाषाओं एवं बोलियों के शब्द भी मिले हुए थे। मैं जमुईअनुमण्डल को महावीर का साधना स्थलएवं केवलज्ञान स्थल मानने में तो सहमत हूँ, किन्तु जन्म स्थल मानने में सहमत नहीं हूँ, अतः महावीर का जन्म स्थल वैशाली के समीप वर्तमान वासुकुण्डही अधिक प्रामाणिक लगता है। जैन समाज को उस स्थान के सम्यक् विकास हेतु प्रयत्न करना चाहिए।

क्रमशः

---

१. समणे भगवं महावीरे नाए, नायपुत्ते, नायकुलवंदे, विदेहे, विदेहदिन्ने, विदेहजच्चे विदेह सूमाले तीसं वासाइं विदेहंसि कट्टु – कल्पसूत्र ११० (प्राकृत भारती संस्करण पृ. १६०)

२. वहीं पृ. १६०

३. णायसंडवणे उज्जागे जेणेव असोकवरपायवे – कल्पसूत्र ११३ (प्राकृत भारती संस्करण पृ. १७०)

४. देखें – कल्पसूत्र ५८, ६७, ६९ (प्रा. भा. सं. पृ. ९६, ११४ आदि)

५. देखें – बुद्धकालीन भारतीय भूगोल – भरत सिंह पृ. ३१३

६. कल्पसूत्र ११९ (प्राकृत भारती संस्करण पृ. १८४)

७. आचारांग १/१७४; ५/५५, ६/३०

८. वही, १/३७,६८.

प्राचीन स्मारकों की रक्षा के बहाने धर्मस्थानों पर सरकारी कब्जा

स्व. प्रभुदास बेचरदास पारेख

धर्मस्थानों को स्मारक मानने की सरकारी नीति मूल से ही गलत है। यह कोई निर्जीव भवन नहीं हैं, ईंट चूने के मकान नहीं हैं, न ही कला-कारीगरी के नमूने हैं। ये तो मनुष्य के आध्यात्मिक विकास में सहायक जीवित आलंबन हैं। ये स्वयं आत्मवाद हैं, चेतना को जगाने-झंझोडने वाले प्रतीक हैं। ये धर्म के प्राण हैं, अतः स्वयं धर्म हैं, और कोई भी कानून धर्म का बाधक नहीं बन सकता।

धर्म का नाश करना हो तो धर्म के प्रतीकों का भी नाश करना पड़ेगा। इस नीति से प्रेरित मनोनुकूल व्याख्या कर धर्म स्थानों को नष्ट करने की नीति बनाई गई है। इसकी प्रथम सीढ़ी के रूप में इनकी रक्षा के बहाने इन पर सरकारी अधिकार जमाना है। इस प्रकार का अधिकार जमाने के लिए ब्रिटिश राज्य ने कानून बनाये और ब्रिटिश राज्य की प्रतिनिधि जैसी वर्तमान सरकार उन कानूनों का अमल करती है। हालाँकि ब्रिटिश सरकार ने भी इस कानून के आधार पर कुछ धर्म स्थानों पर अतीत में कब्जा किया, लेकिन उस समय जनता की धर्म के प्रति श्रृद्धा बहुत अधिक थी। और जनता की यही तीव्र धर्म श्रृद्धा उस शासन को बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने दे रही थी।

जो कानून उस समय शब्द देह में बहुत हल्का था वह १९५१ के पश्चात उग्र स्वरूप धारणकर मूर्तिमंत हुआ है। देशी सरकार को अपनी सरकार मान लेने की भ्रमणा के कारण इस कानून की उग्रता का जनता द्वारा विरोध नहीं, होगा इसलिये कानून की उग्रता अब व्यक्त हो रही है। अलबत्ता, इस कानून की पूर्व भूमिका तो इस कानून से संबंधित विभाग में तैयार ही थी, किंतु कानून का उद्देश्य अत्यंत गंभीर होने से उसका कठोरता से क्रियान्वय करना ब्रिटिश शासन के लिये बहुत ही खतरनाक था।

जैसे जैसे जनता में धर्म भावना की जड़े शिथिल होती जा रही थीं और लोग खोज, इतिहास, शिल्प, नवयुग प्रगति व जमाने की ओर दौड़ने लगे हैं और इन्हीं चीजों में दिमाग अधिक लगाते हैं, वैसे वैसे इस तरह के कानूनों का क्रियान्वय करना आसान होता जा रहा है। धर्मभावनाओं की आंतरिक दृढ़ता पहले के लोगों की तुलना में अपेक्षाकृत अब ढीली पड़ती जा रही है। आज की बाह्य प्रवृत्तियों की ओर बढ़ रहा आदर इसका प्रमाण है। प्रत्येक धर्म के त्यागी और जिम्मेदार धर्मगुरु व मुख्य आगेवान भी बाह्य आडंबर से प्रभावित होकर उसी प्रकार के वातावरण की ओर ढलते जा रहे हैं। इससे धर्मस्थानों पर एक या दूसरे रूप में सरकारी अंकुश की स्थापना बहुत ही सरल होती जा रही है।

इस प्रकार का कानून बनाने का बीज उस मान्यता के अंतर्गत है जिसमें ब्रिटिश सत्ता स्वयं को विश्व का स्वामी समझती है। ब्रिटिश सत्ता की यह दृढ़ मान्यता है कि विश्व में सब कुछ हमारा ही है, और सभी पर हमारा मालिकाना अधिकार है। इस मान्यता को कानून का स्वरूप देकर ब्रिटिश सत्ता उसका अमल करती है।

भारत में धर्मस्थान राज्य या अन्य किसी भी दुन्यवी अधिकार से परे रहे हैं। अन्याय से किसी ने अतीत में चाहे जैसा व्यवहार किया हो, किंतु न्याय की दृष्टि से जो स्थान आज सार्वजनिक सुख-सुविधा के स्थानों का है, उससे भी ज्यादा विशेष महत्त्व धर्मस्थानों का रहता आया है। और इसीलिये दुन्यवी कानूनों से ऐसे स्थानों को परे माना जाता रहा हैं।

ब्रिटिश सत्ता ने इस पूरी वस्तुस्थिति को उलट दिया है। यह सत्ता विश्व का सब कुछ अपनी सत्ता के व अपने अधिकार के तहत है ऐसा मानती है। विश्व की कोई भी वस्तु, एक एक इंच जमीन, आकाश, पाताल, समुद्र आदि सब कुछ अपनी मिलकत हैं ऐसा मानती है, और इस मान्यता को मूर्तिमंत करने की अनेक योजनाएं बनाती है, कानून बनाती है और कानून के द्वारा यह मान्यता सिद्ध करती है कि किसी अन्य की मिलकत के लिए ब्रिटिश सत्ता किस प्रकार कानून बना सकती है?

उदाहरण के लिये, धार्मिक सम्पत्ति की मालिकी तद् तद् धर्म की होती है। उसके व्यवस्थापन के लिए तद् तद् धर्म के अधिकारी उसके लिये

कानून बना सकते हैं। परन्तु ब्रिटिश सत्ता उसके व्यवस्थापन के लिये किस तरह कानून बना सकती है? व उन धर्मस्थानों पर अधिकार जमाने का कानून बाहर की सत्ता कैसे बना सकती है?

परन्तु सन् १६०० से ब्रिटिश सत्ता ने अपने मान लिये गये स्वामित्व को भारत में दृढ़ करना शुरू किया है। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की छूट देकर रानी एलिजाबेथ ने इसकी नींव रखी। रानी से जब पूछा गया कि दूसरों के देश में व्यापार करने की अनुमति देने की सत्ता आपको किसने दी, तो इस प्रश्न के उत्तर में रानी ने कहा कि राजा (यहां रानी) होने के नाते उनके अपने विशेषाधिकार के तहत यह सत्ता उन्हें है, ऐसा इतिहास से पता लगता है। इस मालिकी/मिलकियत की मान्यता का क्रियान्वय उत्तरोत्तर आगे बढ़ता रहा है और अब इसका अंतिम चरण में प्रवेश हो चुका है। यह बात न तो विद्वान समझे हैं और न धर्मगुरु व राजा महाराजा। तो यह बात अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों की समझ में तो कहाँ से आएगी? स्वयं भारत के प्रधानमंत्री स्व. नेहरू को भी यह बात समझ में नहीं आई थी ऐसा स्वयं उन्होंने लंदन में कहा था।

संक्षेप में, इस मान्यता के आधार पर भारत के धर्मस्थान भी ब्रिटिश शासन की सम्पति हैं। परन्तु सहसा तो यह बात भारत की जनता को स्वीकार्य नहीं होगी। अतः उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान धार्मिक संपत्ति पर कब्जा जमाने के कानून बनाने के बाद उनको नर्मी से अर्थात् पता न चले ऐसे क्रियान्वित करना शुरू किया और अब ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाई गई राह पर चलने वाली उसकी उत्तराधिकारी/ अनुगामी सरकार द्वारा उक्त कानूनों का क्रियान्वय तेजी से किया गया है। सरकार हमारी है ऐसे विश्वास से ही लोग उसका ज्यादा विरोध नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, कुछ लोगों की उत्कृष्ट धर्मभावना के कारण कानून का अमल करना स्थगित रखा गया था उसे अब देशी सरकार (ब्रिटिशों की अनुगामी सरकार) तेजी से क्रियान्वय करने में लग गई है।

धर्मस्थानों को कब्जे में लेने के लिए मुख्यतः निम्मलिखित दो-तीन बहाने किये जाते हैं।

१. युद्ध की स्थिति में खास सुरक्षित रखने योग्य स्थानों की सूची दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे को दी जाती है। उसमें कुछ धार्मिक स्थानों पर इस बहाने से कब्जा कर लिया जाता है। युद्ध का अंत हो जाने के पश्चात् भी उन स्थानों पर सरकार का ही कब्जा रहता है। इन स्थानों को बाद में सुरक्षित स्थानों की सूची से रद्द नहीं किया जाता।

२. प्राचीन शिल्पों की रक्षा के बहाने सरकार कब्जा कर लेती है।

३. प्राचीन शिलालेख अथवा अन्य तरह से इतिहास के अभ्यास में उपयोगी साधन हो तो उसकी रक्षा के लिए सरकार कब्जा कर लेती है।

४. सार्वजनिक उपयोग के योग्य वस्तु हो तो भी सरकार उनपर अधिकार कर लेती है।

ऐसे बहानों के अंतर्गत धर्मस्थानों पर सरकार की मालिकी स्थापन करने की नीति का अमल करना आसान हो जाता है।

और इस कार्य में उपयोगी बने और साथ सहकार दे ऐसी एक पूरी जमात भारत में खड़ी की गई है। प्राचीन / पुरातात्विक खोज / अन्वेषण, ऐतिहासिक खोजों का महत्त्व इतना बढ़ा दिया गया है कि उसमें से ही यह साथ सहकार देने वाली जमात खड़ी हो गई है, जो रक्षा का राग आलापते हुए धर्मस्थानों में सरकार का अधिकार जमाने का मार्ग सरल कर देती है। इस भूलभूलैया में बड़े बड़े धार्मिक नेता व धर्माचार्य भी फंस गये है। शिल्प, इतिहास, खोज सब सत्य का अंग जरूर हैं, पर धर्म से बढ़कर कुछ भी विशेष नहीं है। विदेशी आदर्शों को माननेवाली वर्तमान सरकार के दिल में धर्म का कोई महत्त्व नहीं है। इसीलिए वह प्राचीन शिल्प आदि का बहाना करके कब्जा लेने की ब्रिटिश शासन की नीति का अमल करती है।

एक तरफ वर्तमान सरकार जनता के जीवन में आमूलचूक क्रांति लाने के चक्रों को गतिमान करती है। अर्थात् उसे कोई भी प्राचीन वस्तु प्रिय नहीं है, किसी भी प्राचीन वस्तु को टिकाने की उसकी नीति नहीं है, ऐसा घोषित करती है। दूसरी ओर जब यही सरकार प्राचीन स्थानों की रक्षा के लिए दौड़ आती है तब उसकी इन स्थानों की रक्षानीति के पीछे छिपी बद नियत की गंध आ जाती है। प्राचीन स्थानों की रक्षा के बहाने उनका कब्ज़ा लेकर उनको नष्ट करने की नीति का स्पष्ट अनुमान हो सकता है। जब

मूलभूत क्रांति / परिवर्तन करने का उद्देश्य हो तब धर्म को भी जनता के जीवन से दूर करना ही पड़े और इसके लिए धर्म के सार्वजनिक प्रतीकों का भी नाश करना पड़े। सरकार अपना यह गुप्त उद्देश्य जनता से छिपा कर रखती है।

नवजवान पीढ़ी के दिमाग से परम्परागत धार्मिक व सांस्कृतिक संस्कारों को नष्ट करने के लिए सरकारी नीति धर्मस्थानों का कब्जा लेती है। धर्म जैसी अभेद दीवाल में धर्मस्थानों की रक्षा के बहाने सरकारी नीतियां प्रवेश कर सकती हैं और इसके पीछे पीछे अंतरराष्ट्रीय संगठनों का भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कब्जा स्थापित हो जाता है। यह राजनैतिक दांवपेच आम जनता की सामान्य समझ में नहीं आता, नहीं आ सकता।

जगत के समस्त पदार्थों पर सर्वाधिकार जमाने का काम किस ईश्वर ने ब्रिटिश सत्ता को सौंपा है? या इस सत्ता ने स्वयं को ही ईश्वर समझ लिया है? न्याय की किस कचहरी ने उनको यह अन्याय करने का अधिकार दिया है? उनकी मान्यता को न्यायोचित माना गया है? तथाकथित शिक्षित अधिक मूर्ख बनते हैं। संस्कृति के नाश में प्रजा का नाश भी सम्मिलित है, इतनी सीधी सी बात भी वे समझ नहीं सकते हैं। पश्चिम संस्कृति ने उनको जितना पढ़ाया, उतना ही वे पढ़े और इसी पढ़ाई की तोता रटंत करते रहते हैं।

एक जानने / समझने योग्य द्रष्टांत :

ब्रिटिश सत्ता के शासनकाल में लॉर्ड कर्झन देलवाड़ा के मंदिर देखने के लिए आए। उनके साथ लालभाई शेठ थे। लॉर्ड कर्झन ने कहा कि, आबू के ये मंदिर तो विश्व की शान हैं। इसमें काल दोष से जो खंडतता हुई है उसे उनकी सरकार मरम्मत करवा देगी।

तत्काल ही शेठ श्री ने उत्तर दिया, नहीं, नहीं, हमारा श्री संघ ही उसे ठीक करवाएगा। हमारी विधवा बहन भी इस कार्य के लिये धर्मभावना से कम से कम एक रुपया देने को तैयार होगी।

लॉर्ड कर्झन को इसमें आपत्ति करने का कोई कारण नहीं था। क्योंकि ऐसे स्थान सरकारी कब्जे के तहत व उसकी मालिकी के अंतर्गत हैं, इस आशय के कानून तो ब्रिटिश सरकार ने पहले ही बनाए हुए थे। अतः उसके चलते भले ही मरम्मत का काम श्री जैन संघ करे।

शेठ के ध्यान में यह मर्म नहीं था। उस समय ऐसा मर्म हो सकता है यह जानना संभव भी नहीं था। अधिकारियों के दिल के कपट का अंदाजा भी उस वक्त के लोगों को आ भी कैसे सकता था?

संक्षेप में, आज के कानूनों के पीछे बाह्य उद्देश्य तो काम चलाऊ ही होते हैं। परन्तु उनका गर्भित व मूल उद्देश्य तो कुछ और ही होता है। इसे जो पकड़ नहीं पाते वे बाह्य के सुंदर उद्देश्यों को ही पकड़ लेते हैं। ऐसे ही मनुष्यों को नेता /अगुआ बनाया जाता है, उन्हें प्रतिष्ठित बनाया जाता है व उनके द्वारा मूल उद्देश्य सिद्ध करने की दिशा में गति करना संभव होता है। भारत के प्राचीन धर्मों व उसके अंग प्रत्यंग तोड़े बिना अन्य प्रजाएं यहां की निवासी बनकर स्वराज्य का उपभोग कर नहीं सकती । इसलिए धर्म व उसके प्रतीकों के विनाश के लिए इस प्रकार की युक्तियाँ बनायी जाती हैं।

सच तो यह है कि धर्म स्थानों को स्मारक कहना ही गलत है। कल्याणक भूमियों के मकान या शिलालेखों का महत्त्व इतना नहीं होता जितना महत्त्व उनकी धार्मिक पवित्रता का होता है। शिल्प या ऐतिहासिक तत्त्व का जितना संभव हो उतना रख-रखाव करना चाहिए, परन्तु रख-रखाव संभव न हो तो कल्याणक के रूप में भूमि की महत्ता नष्ट नहीं की जा सकती। वह चाहे जिस स्वरूप में हो, अस्तित्व में रहनी ही चाहिए। सरकार कब्जा लेने के लिए उसे स्मारक माने और धर्म के उद्देश्य के बदले अपने उदश्यों को ज्यादा महत्त्व दे और सरकार के सम्मुख लोगों को झुकना पड़े तो इसका मतलब धर्म को झुकना पड़ा ऐसा माना जाएगा। इस तरह सरकार की विजय में विदेशी आदर्शों, स्वार्थों और भौतिकवाद की विजय मानी जाएगी।

धार्मिक प्रतीकों के अलावा अन्य सांस्कृतिक प्रतीकों का कब्जा भी उनका नाश करने के लिए है। ताकि इन प्रतीकों द्वारा नई पीढ़ी को शौर्य के, दान के और भक्ति के जो संस्कार प्राप्त होते हैं, जो प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं, उन संस्कारों व प्रेरणाओं के स्रोत को ही बंद कर दिया जायं।

◆◆◆

वैर का विपाक

भगवान को उद्दिष्ट कर वह कहने लगा: आप पधार गए हैं तो अब यहीं ठहर जाइए। यहां और भी अनेक तपस्वी हैं। इस आश्रम को आप सर्वथा विघ्न रहित समझे। ध्यान के लिए ऐसी एकांत और अनुकूलता अन्यत्र नहीं मिलेगी।

महावीर तो इस समय वहां केवल एक रात्रि ही ठहरे। परन्तु चतुर्मास के निवास के लिए यह स्थान अनुकूल होगा ऐसी उनकी धारणा तब हो गई। उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा परन्तु चतुर्मास प्रारम्भ होने पर वे यहां पधारेंगे ऐसी धारणा करके वे वहां से तुरंत ही चले गए। फिर जब चतुर्मास के लिए तपोवन में महावीर प्रभु पधारे तो कुलपति ने पूर्ण सद्भाव के साथ उनके लिए एक झोपड़ी पृथक कर दी।

चतुर्मास का आरम्भ हो गया, परन्तु अभी वर्षा तो नहीं हुई थी। इसलिये आश्रम के और आस पास के ढोरों को खाने के लिए पर्याप्त घासपात नहीं मिलता था। भूख के मारे कितनी ही गायें इस आश्रम के वासियों के झोपड़ों में छाई हुई घास खाने को दौड़ दौड़ कर आती रहती थी। और तापस लोग उन गायों को लाठी से हांक दिया करते थे। एक मात्र भगवान् महावीर ही अपनी झोपड़ी की रक्षा करने का प्रयत्न नहीं करते थे। तापसों को सह नयाआगतुंक कदाचित् विचित्र अथवा आलसी जैसा ही लगा होगा।

कुलपति ने महावीर को समझाते हुए कहा: क्षत्रिय तो परापूर्व से पृथ्वी की रक्षा करते आए हैं। आपको अधिक कुछ भी नहीं तो कम से कम इस झोपड़ी की तो रक्षा करनी ही चाहिये। पक्षी भी अपने नीड़की जीवन को जोखिम में डालकर भी क्या रक्षा नहीं करते हैं?

महावीर भगवान् कुलपति का आशय समझ गए और अपने प्रति अप्रीति उत्पन्न हो ऐसे संयोग वहां देखकर उन्होंने आश्रम का त्याग कर दिया।

संसार के सब प्रपंचो को त्याग कर देने पर भी ये तापस आश्रमों का-झोपड़ियों का मोह नहीं त्याग सके थे। गायों को पीछे ढकेलने के लिये वे लकड़ियों का उपयोग करते थे। इसमें इन्हें कुछ भी संकोच नहीं होता था।

इस आश्रम के और कनकखल मुख्य पुरुष चंडकौशिक की बात इस युग के तपोवनों और तपस्वियों के प्रतीक समान है। ऐसा कहा जा सकता है।

कनकखल आश्रम का जो वर्णन दिया गया है उस पर से सुवर्णकुला के तट पर बसा हुआ यह धाम भारी ख्याति प्राप्त था ऐसा लगता है। सर्वश्रेष्ठ तपोवनों में ही इसकी गणना तब होती होगी।

कपूर, तमाल और अन्य विरल वृक्षों की छाया इस आश्रम पर निरंतर छायी ही रहती थी। होम-यज्ञ तो इतने अधिक होते थे कि आश्रम के वृक्षों के पत्ते तक धुएं से काले वर्ण के हो गए थे।

कौशिक इस आश्रम के कुलपति थे। स्वभाव से किंचित् क्रोधी होने के कारण परिचित लोग इन्हें चंड कौशिक कहा करते थे। कौशिक का अपने आश्रम के प्रति इतना अधिक मोह था कि आश्रम के फल-फूल को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता था। कोई भी फूल तोड़ता दिख जाता तो कौशिक क्रोधित हो जाते।

एक दिन कितने ही क्षत्रिय कुमार कुलपति को हैरान करने और चिढ़ाने के लिये कितने ही छोटे-मोटे झाड़ उखाड़ लाए । कौशिक इस समय आश्रम की आड़ की मरम्मत करने को कंटाली आदि जाला-झांखरा लेने के लिए दूर जंगल में गये हुए थे। उसने लौट कर जो देखा तो आश्रम के कितने ही वृक्ष उखाड़े हुए-काटे हुए और बेडोल बनाए हुए दीखे। वह क्रोधावेश में उन क्षत्रियकुमारों के पीछे दौड़ा। मार्ग में किसी ठूंठ से टकरा कर उसकी मृत्यु हो गई। वही कौशिक इसी आश्रम में सांपरूप में अवतरित हुए। भगवान् महावीर ने इसको उपदेश देकर सन्मार्ग पर आरुढ़ किया।

ये आश्रमवासी तापस कठोर तपश्चर्या करते थे। परन्तु इस तपश्चर्या के तेज को क्रोध, मोह, ममता का राहु देखते देखते निगल जाता था। बूंद बूंद एकत्र की हुई शक्ति और सिद्धि को एक ही पल में क्रोध ग्रास कर जाता था।

तापसों के इन समुदायों को भगवान् महावीर ने सम्यग्दृष्टि दी। प्रशमरस की महिमा का उपदेश दिया। कष्टक्रिया कर, देह को निचोड़ डालने वाले साधकों को इससे आज तक अगोचर रही दिव्य ज्योति के दर्शन हुए। परन्तु अग्निशर्मा तो इस दृष्टि से वंचित ही था। इस भव में तो वह गुणसेन को किसी रीति से हैरान-परेशान कर सके यह संभव नहीं था। जीवन के अंतिम श्वास लेते लेते भी उसने अंतर में उगे हुए रोष का पालन नहीं किया। उसने अनुशोचना, आलोचना अथवा क्षमापना का शरण नहीं स्वीकार किया। वैर की भावना के साथ उसने अपना देह त्याग किया।

गुणसेन ने यह बात सुनी। उसे अपनी भूल के लिये पारावार पछतावा तो हुआ परन्तु आज वह निरूपाय था। इसने तपस्वी को एक दिन कुतूहल वृत्ति से सताया था। दूसरी बार ऐसा कोई भी इरादा नहीं होते हुए भी अपनी असावधानी से इसी तपस्वी को भूख से तड़फड़ाया था। अब अपने श्वसुर का वह राज्य उसे अरुचिकर हो गया। पिता की भूमि में लौटकर आत्मचिकित्सा करने का उसने निर्णय कर लिया।

ज्ञान का अजीर्ण अभिमान और तप का अजीर्ण क्रोध है। अग्निशर्मा तप के अजीर्ण का भोगी बना। तप का प्रभाव एकदम निष्फल तो कैसे जा सकता था? वह विधुत्कुमार देव हुआ। परन्तु देवत्व में उसे शांति नहीं प्राप्त हुई। उसे तो अपनी वैरवृत्ति किसी भी रीति से संतुष्ट करती थी।

गुणसेन को प्रमादवश हुई अपनी स्खलनाओं का बराबर ध्यान था। राज्य का धर्म वह निबाह तो रहा था परन्तु अग्निशर्मा के प्रति जो अन्याय हुए थे उसका विस्मरण उसे कभी भी नहीं हो सका। अकेला जब भी बैठा होता वह उदास बन जाता था। अन्याय मानो बिच्छू के डंक जैसे उसे बेचैन कर देता था। यह सब कैसे हो गया, किस नियम के आधार से किस महासूत्र के अवलंबन से ऐसी घटनाएं बनती होगी। बस इसी का वह विचार करता रहता था। परन्तु फिर भी कोई समाधान उसे नहीं होता था।

इतने ही में वहाँ एक ज्ञानी पुरुष का समागम हुआ। इन ज्ञानी ने कर्म की विचित्रता की जो बातें उसे कही, उन्हें सुनकर उसे लगा कि उसको बुद्धि का अभिमान मिथ्या था - सत्ता और वैभव भी उसे तब तुच्छवत् मालूम होने

लगा। अज्ञानवश कौन जाने प्रति दिन हम ऐसी कितनी ही भूले कर डालते होंगे।

मेरा ही एक मित्र मुझे बहुत ही प्रिय था। अंगुली से जैसे नख अलग नहीं रह सकता है वैसे ही मैं उस मित्र से अलग नहीं रह सकता था। वह मित्र एक दिन मर गया मैं पागल जैसा हो गया। मेरे दुख को कोई भी कम नहीं कर सका। इतने में ही मुझे एक संत मिल गया। उसने मुझसे कहा कि तेरा मित्र तो धोबी के यहां कुत्ता होकर जन्मा है और वहां वह धोबी के गधे की लातें खा-खाकर किसी तरह अपने दिन बिता रहा है।

गुणसेन को इस प्रकार ज्ञानी पुरुष जब अपने वैराग्य के बीज की बात कह रहे थे तभी गुणसेन बीच में ही बोल उठा:

उसने अपने मित्र की दुर्गति की यह बात कैसे जानी?

ज्ञानी तब उसे कहने लगे: तप और अंतःशुद्धि के प्रताप से विश्व की प्रत्येक घटना को हाथ में ये फल की भांति वे देख सकते थे। तुमको जैसे मेरे मित्र की दुर्दशा सुनकर ग्लानि होती है वैसे ही मुझे भी हुई। कारण बताते हुए उन सर्वदर्शी पुरुष ने मुझसे कहा: तेरे इस मित्र को कुलीनता का भारी अभिमान था। संसार सारा गंदा-गोबर और हलके मनुष्यों से ही भरा हुआ है ऐसा वह मानता था और रंच मात्र भी अपने को अरुचि कर हो तो वह निरपराध मनुष्यों को कठोर सजा दिया करता था। धोबियों को इसने ऐसी ही हलके प्राणी मानकर बहुत ही हैरान किया था। इसी के फल स्वरूप आज तुम्हारा यह मित्र धोबी के यहां कुत्ते के रूप में जन्म पाया है।

और भी अनेक कथाएं गुणसेन को इस विषय की उन्होंने कहीं और संसार के प्रति उनका रस कैसे गायब हो गया उसका उन्होंनें तात्विक निरुपण किया।

संत जन के इस थोड़े से ही सहवास ने गुणसेन का जीवन पलट दिया। संसार को वह एक दूसरी ही दृष्टि से देखने लगा। उसकी आंख के आगे झूलता हुआ एक पतला परदा मानों हट गया था।

एक दिन गुणसेन ध्यानावस्था में बैठा अपने जीवन की स्खलनाओं-दोषों का चिंतन कर क्षमा के जल से उन्हें धो रहा था। इतने में ही विद्युत

कुमार-अग्निशर्मा ने उसके ऊपर उपसर्ग की झड़ी ही बरसा दी। पहले तो वह गुणसेन के देह पर तप्त रेत की वर्षा करता रहा। चमड़ी दग्ध हो जाने पर भी गुणसेन अपनी सात्विक स्थिति में सबल रहा। क्रुद्ध और खिसियाये विद्युत्कुमार और भी क्रुद्ध हो गया। अब तो उसने गुणसेन को जीवित ही जला देने का अंतिम निर्णय कर लिया।

मेरा कोई शत्रु नहीं मैं सब का मित्र हूँ। जिस जिस के प्रति मेरे से कोई भी अपराध हुआ हो उन सबको मैं खमाता हूँ। अग्निशर्मा भी मेरा शत्रु नहीं था। अजानते मैंने उसे कष्ट दिया है उससे भी भैं अंतःकरणपूर्वक क्षमा याचना करता हूँ।

गुणसेन इस प्रकार जब सर्व संसार के प्रति क्षमा के अमृत की वर्षा बरसा रहा था, उसी समय अग्निशर्मा का जीव उसके देह को जलाकर भस्मीभूत कर रहा था। परन्तु गुणसेन ने उस उपद्रव की जरा भी चिंता नहीं की।

शांति के अगाध जल में स्नान करता हुआ गुणसेन ध्यान और शुद्धि के प्रताप से सौधर्म देवलोक खण्ड दो में चन्द्रानन नामा देव हुआ।

युवराज का जन्मोत्सव मनाना जयपुर नगर की अनेक पीढ़ियों की एक परम्परा है। महाराजा सिंहकुमार की पटराणी के उदर से कुमार का जन्म ही होना चाहिए ऐसा मानते हुए पुरवासी पुत्रोत्सव मनाने की तैयारी में व्यस्त थे।

फिर भी पटरानी के पुत्र-जन्म की बात प्रकट होने नहीं ही पाई। रानी ने पुत्र को तो निश्चय ही जन्म दिया परन्तु वह इस बात को हर प्रकार से गुप्त रखना ही चाहती है।

पटरानी और उसकी दासी के बीच में महल के एकान्त स्थान में बस यही बात हो रही थी।

रानी कहती है: मेरे देव जैसे अत्यन्त प्रिय पति का अनिष्ट करनेवाला पुत्र मुझे नहीं चाहिये। तू चाहे जैसे भी हो इस शिशु की देह को बाहर फेंक आ दासी उत्तर देती है रानी जी यह आपका भ्रम है। पुत्र पिता के विरुद्ध विद्रोह करे, पिता को परेशान करे ये सब आपकी ही खड़ी की हुई भ्रातियां

हैं। ऐसी एक भ्रमणा से भयभीत हो राजकुमार को जन्मते ही त्याग कर देना भारी क्रूरता है। पीछे पछताना पड़े ऐसी यह निर्बुद्धिता भी है।

परन्तु रानी कुछ भी नहीं सुनती-समझती है। वह तो समझने से ही इन्कार करती है। उसका मानना है कि जिस पुत्र के गर्भ में आते ही पेट में सांप प्रवेश कर रहा हो ऐसा स्वप्न दिया हो और मुझ जैसी नरम स्त्री को भी समय आने पर पति की आंतें खाने का दोहद उत्पन्न हुआ हो, उस पुत्र से किसी भी प्रकार की अच्छी आशा मैं रख ही नहीं सकती हूं। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि यह पुत्र, पुत्र रूप में शत्रु ही जन्मा है और इससे पति देव को बचा लेना ही मेरा पवित्र कर्तव्य है।

दासी अत्यन्त असमंजस में पड़ गई। महाराणी के साथ युक्ति में वह जीत नहीं रही थी। परन्तु महारानी गलत मार्ग पर है और उसे एक नौकरानी मात्र होने से उनकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, इस चिंता से वह घबरा रही थी।

दासी की घबराहट देख रानी ने कहा: तेरी चतुराई तूं रहने दे। अमात्य को कह दे कि उत्सव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रानी को मृत पुत्र जन्मा है। कोई भी कुछ हर्ष-शोक नहीं किया जाए।

पुरवासियों का उत्सव, दरिद्र की अभिलाषा की भांति मन का मन में ही रह गया। दासी को भी और कुछ उपाय नहीं देखकर शिशु के देह का विसर्जन करने के लिए महल के बाहर उसे उठाकर निकलना ही पड़ा।

पर भाग्य की बात कि दासी और जयपुरनगर-नरेश सिंह महाराजा का आमना-सामना हो ही गया। घबराई दासी ने तथ्य गुप्त रखने का प्रयत्न तो बहुत ही किया परन्तु उसकी बुद्धि को तो तब काठ मार गया था। एक तो अनिच्छापूर्व वह बाहर निकली थी और दूसरे इस भयंकर कृत्य को करते हुए उसकी अंतरात्मा कलकलाट कर रही थी। सिंह महाराज तत्क्षण यथार्थ वस्तुस्थिति समझ गए।

क्रमशः

निःशुल्क जैन साहित्य का प्रकाशन हो

भूरचन्द जैन

जैन धर्म से संबंधित साहित्य का प्रकाशन सदियों से होता आ रहा है। जैन धर्म पर कई विद्वान जैनाचार्यों, जैन साधु-साध्वियों, पंडितों, यतियों, जैन साहित्यकारों, रचनाकारों, कवियों, जैन समण-समणियों आदि के अतिरिक्त अजैन विद्वानों, पंडितों, ज्ञानियों ने खूब जैन साहित्य की रचना की है और यह क्रम निरन्तर जारी है। प्रतिवर्ष हजारों की तादाद में जैन धर्म की विविध विद्याओं-विषयों पर साहित्य का प्रकाशन होता रहा है। साहित्य प्रकाशन में दिगम्बर, श्वेताम्बर, स्थानकवासी, तेरापंथ और इन जैन संप्रदाय के विभिन्न पंथों एवं गच्छों आदि के विद्वान सभी वर्गों के लोग जैन साहित्य प्रकाशित करते रहते हैं। यह सुखद पहलू है और जिसका साहित्य है उसका नाम सदियों तक बना रहेगा। साहित्य समाज का दर्पण होता है। साहित्य ज्ञान का दीपक होता है। साहित्य जीवन का आधार है। साहित्य विद्वानों का जीवन है। साहित्य गिरतों को सहारा है। सत साहित्य ही अज्ञानरूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। इस कारण साहित्य की महत्ता रही है और जब तक संसार है साहित्य की महत्ता रहेगी। इस कारण सभी धर्मों का साहित्य है उसमें जैन धर्म में तो साहित्य की भरमार है।

जैन साहित्य में जैन धर्म के हर पहलू पर विस्तार से विवेचन करने का साहित्य सृजन करने वालों का उद्देश्य रहा है। इन्होंने साहित्य का इस तरीके से विस्तार किया है ताकि पढ़ने वालों को जैन धर्म की सभी पहलुओं की बारीकी का आसानी से ज्ञान हो सकें और उसके आधार पर अपने जीवन को ढाल कर अपना आत्मकल्याण कर सकें। इतना ही नहीं जैन धर्म के सिद्धान्तों, परम्पराओं, मान्यताओं आदि का गहन अध्ययन करने के बाद जैन धर्म सम्मत अपनी बात कहने, करने एवं समझाने, समझने में साहित्य बड़ी भूमिका निभाता है। इस कारण साहित्य का होना धर्म के मर्म को समझने का प्रमुख आधार होता है जिसके लिये तीर्थंकरों की वाणी को जैन गणधरों आदि

ने कण्ठस्थ करने के बाद लिपिबद्ध कर उनका साहित्य प्रकाशित किया जो आज मार्गदर्शक बना हुआ है। यही जैन शास्त्र है। आगम है। भगवान की वाणी है। इसी साहित्य के आधार पर जैन धर्म की नींव टिकी हुई है। ये ही शास्त्र जैन धर्म के मूल स्वरूप है।

जैन धर्म में साहित्य का अभाव नहीं है। जब से छपने की व्यवस्था हुई तब से लेकर अब तक जैन धर्म के विभिन्न सम्प्रदायों, पंथों, गच्छों आदि के धर्म गुरूओं, जैनाचार्यों, जैन साधु-साध्वियों, यतियों, पंडितों, विद्वान जैन श्रावक-श्राविकाओं, वर्तमान में समण-समणियों, साहित्यकारों, रचना कर्मियों, कवियों, पत्रकारों ने अपनी लेखनी के सहारे जैन साहित्य की रचना की है और निरन्तर कर रहे हैं। जैन धर्म के सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, तपस्या आदि विभिन्न पहलुओं के साथ इस धर्म के संस्थापक तीर्थंकरों, गणधरों, आचार्यों, साधु-साध्वियों, महापुरूषों, त्यागी आत्माओं, तपस्वी विभूतियों, दानवीर-भामाशाहों आदि के जींवन पर ढेर सारा साहित्य प्रकाशित हुआ है। जैन धर्म के तत्वज्ञान, परम्पराओं, विधियों, मान्यताओं आदि पर भी खूब साहित्य सर्जन हुआ है। जैनों के साहित्य प्रकाशन से प्राचीन इतिहास का संदर्भ भी मिलता है वहां भूतकाल के कई बातों की जानकारी होती है। यह सब जैन साहित्य सृजन कर जन साधारण को जैन धर्म के बारे में जानकारी देने का प्रयास किया है।

जैन साहित्य प्रकाशित हुआ है और हो रहा है लेकिन इसकी जन साधारण तक पहुंच नहीं होने के कारण जैन धर्म की मौलिकता, वास्तविकता को लोग जान नहीं पाते है। इस कारण जैन धर्म के तत्वज्ञान सहित इसकी गहराई को जानने से जनसाधारण महरूम रहता है और अज्ञानवश जैन धर्म की निंदा आलोचना कर बैठता है। इसके लिये जैन साहित्य जन-जन तक पहुंचे ऐसे प्रयास जैन धर्म के धर्मगुरुओं और जैन समाज के कर्णधारों को करने की पहल करनी चाहिये ताकि जैन धर्म की वास्तविकता को लोग समझ सकें। इस धर्म के जैन तीर्थंकरों, धर्माचार्यो, महान विभूतियों, त्यागी-तपस्वियों, समाज सुधारक, दानवीर भामाशाहों आदि के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जान सकें। इसके लिये ऐसी सभी विभूतियों ने जिन्होंने जैन धर्म को उद्दीयमान किया है, इसकी कल्याणकारी बातों को उजागर किया है ऐसे जन

कल्याणकारी धर्म को समझने के लिये ऐसा साहित्य प्रकाशित हो जो जन साधारण को कम से कम मूल्य पर उपलब्ध हो। मूल्य की अपेक्षा यदि जैन समाज की तरफ से इसके निःशुल्क प्रचार साहित्य के रूप में जन साधारण को उपलब्ध कराया जाय तो जैन धर्म की महत्ता एवं महानता को समझ कर लोगों में जैन धर्म से संबंधित भ्रांतियों, गलत धारणाओं का समाधान स्वतः ही हो जाता हैं।

जैन धर्म अपनी कला एवं संस्कृति के रूप में अपनी पहचान बनाये हुए जग विख्यात है। इस धर्म के विश्व विख्यात धार्मिक स्थलों, पूजनीय स्थलों की भरमार है। एक से एक बढ़कर मंदिर अनोखी, सुन्दर, बारीक शिल्पकला के लिये विश्व के लिये अभूतपूर्व स्थल बने हुए हैं। जिस पर यदि समाज की तरफ से साहित्य प्रकाशन कर प्रचार की दृष्टि से उनका निःशुल्क वितरण करें तो ऐसे स्थलों के दर्शन कर कई आत्माऐं अपने भव को सुधार सकती है। ऐसी स्थिति में जैन धर्मावलम्बियों को अपने मंदिरों, तीर्थ स्थलों, धार्मिक स्थानों, दादावाड़ियों स्मारकों आदि पर छोटी-छोटी पुस्तकें प्रकाशित कर उसका निःशुल्क वितरण करने की योजना बनानी चाहिये।

जैन धर्मावलम्बी अपने जैन धर्म गुरुओं के उपदेशों से कई मानवोपयोगी, सेवाभावी, ज्ञान, ध्यान आराधना, उपासना आदि कई रचनात्मक संस्थाऐं चलाते है लेकिन इसकी जैन धर्मावलम्बियों को भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसी दशा में जैन भी लाभान्वित नहीं हो रहे है तो अन्य जैन धर्म में आस्था विश्वास रखने वाले कैसे लाभान्वित होंगे? इस प्रकार की सभी संस्थाओं पर उनके परिचयात्मक के साथ-साथ उद्देश्यों एवं कार्य प्रणाली पर छोटी छोटी निःशुल्क प्रचार पुस्तिकाएं प्रकाशित करने की ओर पहल करनी चाहिये ताकि ये संस्थाऐं अधिकाधिक जैन का प्रचार-प्रसार करने के साथ मानवोपयोगी बन सकें।

जैन धर्मावलम्बी साहित्य प्रकाशन करने में सक्षम है। इस कारण प्रतिवर्ष इस धर्म के सभी सम्प्रदायों, पंथों, गच्छों का साहित्य किसी न किसी रूप में प्रकाशित होता रहता है। सभी करें इसमें कोई ऐतराज एवं शंका नहीं है, लेकिन वे जो कुछ साहित्य प्रकाशित कर रहे है। उसे छोटे आकार, संक्षिप्त रूप में प्रकाशित कर निःशुल्क वितरण करें तो जैन धर्म की गहराई जन-जन

के कल्याण का मार्ग बन सकती है। जिसके पढ़ने से चरित्र निर्माण की पहल होगी। अनुशासन बढ़ेगा। भाईचारे का विकास होगा। हिंसा को लोग पाप समझेंगे, असामाजिक गतिविधियों की तरफ नहीं जायेंगे। त्याग और तपस्या उनके जीवन का अंग बनेगा। नास्तिकता के कारण भटकता इंसान आस्तिक बन सकेगा। अच्छे कर्मों का बंधन करने के लिये सत्यपथ को स्वीकार करेगा। पाप की दुनियां से परे हो जावेगा। बन्धुत्व की भावना उसके दिल में आयेगी। बस इसके लिये मार्गदर्शन, उद्बोधन, प्रेरणा जैन साहित्य ही दे सकेगा। जिसके लिये जैन धर्म गुरूओं, साहित्य सृजन करने वालों को ऐसे साहित्य की रचना करनी चाहिये और समाज को इसके प्रकाशन के बाद निःशुल्क वितरण की योजना बनानी चाहिये। आजकल बिजली संचालित भौतिक साधनों ने वैसे भी साहित्य पढ़ना कम कर दिया है और कोई पढ़ने की इच्छा रखता भी है तो बढ़ती मंहगाई के कारण सस्ता साहित्य उपलब्ध नहीं होने के कारण मंहगा खरीदने की हिम्मत नहीं करता है।

जैन साहित्य को जनप्रिय, लोकप्रिय, जन कल्याणकारी बनाना है तो जैन धर्मगुरूओं, जैनाचार्यों, जैन साधु साध्वियों, जैन समाज के कर्णधारों को साहित्य प्रकाशन के साथ निःशुल्क साहित्य प्रकाशन के साथ निःशुल्क साहित्य वितरण की ओर पहल करनी होगी। धार्मिक, सामाजिक आदि आयोजनों में विभिन्न प्रकार की भावना एवं भेंट में दी जाने वाली सामग्री में जैन साहित्य दिया जाय तो उत्तम रहेगा। इस ओर झुकाव होना चाहिये। अन्य धार्मिक कार्यक्रमों से पैसा (धन) बचा कर इस ओर खर्च करने की आदत डालनी होगी। पहल करनी होगी। प्रेरणा देनी होगी। तभी जैन साहित्य जन-जन का कल्याण करता हुआ विश्व में मैत्री एवं अहिंसा की ज्योत जगा पायेगा।

——————O——————

NAHAR
5/1 Acharya Jagadish Chandra Bose Road,
Kolkata - 700 020
Phone: 2283 3515, Resi: 2246 7757

BOYD SMITHS PVT. LTD.
8, Netaji Subhas Road
B-3/5 Gillander House, Kolkata - 700 001
Ph: (O) 2220-8105/2139,(Resi) 2329-0629/0319

KUMAR CHANDRA SINGH DUDHORIA
Azimganj House
7, Camac Street, Kolkata - 700 017
Ph: 2282-5234/0329

M/S. METROPOLITAN BOOK COMPANY
93, Park Street, Kolkata - 700 016
Ph: 2226-2418, (Resi) 2475-2730, 2476-8730

SURANA MOTORS PVT. LTD.
84 Parijat, 8th Floor, 24A, Shakespeare Sarani
Kolkata - 700 071, Ph: 2247-7450, 2283-4662

SUDIP KUMAR SINGH DUDHORIA
Indian Silk House Agencies
129, Rasbehari Avenue, Kolkata- 700 029, Ph: 2464-1186,

ASHOK KUMAR RAIDANI
M/s. Ashok Trading Corporation
Dealing in All types of Blanket and General Order Supplier
6, Temple Street, Kolkata - 700 072
Ph: 2237-4132, 2236-2072

IN THE MEMORY OF SOHANRAJ SINGHVI
VINAYMATI SINGHVI
93/4 Karaya Road, Kolkata - 700 019
Ph: (O) 2220 8967, (Resi) 2247 1750

GLOBE TRAVELS
Contact for better & Friendlier Service
11, Ho Chi Minh Sarani, Kolkata - 700 071
Ph: 2282-8181

APRAJITA
Air Conditioned Market
Kolkata - 700 071
Phone : (O) 30530222, (Resi) 24543534

DR. K.B. SINGH (M.B.B.S.)
67, S.N. Pandit Road, Kolkata - 700 025
Ph: 2455-2081, 2454-7127, Chember- 2268-8670/4207

LALCHAND DHARAMCHAND
Govt. Recognised Export House
12, India Exchange Place, Kolkata-700 001
Ph: (B) 2220-2074/8958 (D) 2220-0983/3187
Cable: SWADHARMI, Fax: (033) 2220 9755
Resi: 2464-3235/1541, Fax: (033) 2464 0547

TARUN TEXTILES (P) LTD.
203/1, Mahatma Gandhi Road, Kolkata - 700 007
Ph: 2268-8677, 2269-6097

AJAY DAGA, AJAY TRADERS
28, B.T. Road, Kolkata - 700 002
Ph: (O) 2268-9356/0950 (Fact). 2557-1697/7059

COMPUTER EXCHANGE
Park Centre' 24 Park Street
Kolkata - 700 016, Ph: 2229-5047/9110

SUNDERLAL DUGAR
R. D. B. Industries Ltd.
Regd. Off: Bikaner Building
8/1 Lal Bazar Street, Kolkata - 700 001
Ph: 2248-5146/6941/3350, Mobile: 9830032021

AMRITLAL & CO.
113B, Monohardas Katra
Ist floor, Kolkata - 700 007
Phone: (O) 2282-4649 (R) 2454-3534

ARBEITS INDIA
8/1, Middleton Road, 8th Floor, Room No.4
Kolkata - 700 071, Ph: 2229 6256/8730/1029
Resi: 2247 6526/6638/22405126
Telex: 2021 2333, ARBI IN, Fax : 2226 0174

PSCO

MECHANICAL ENGINEERS & FABRICATORS.
Howrah Amta Road, Balitikuri Howrah

M/S. POLY UDYOG
Unipack Industries
Manufacturers & Printers of HM; HDPE,
LD, LLDPE, BOPP PRINTED BAGS.
31-B, Jhowtalla Road
Kolkata - 700 017, Phone: 2247 9277, 2240 2825
Tele Fax: 22402825

SAROJ DUGAR
Fancy saree, bed covers
34/1J. Ballygunge Circular Road
Kolkata - 700 019, Phone: 2475 1458

VEEKEY ELECTRONICS
M/s. Madhur Electronics, 29/1B, Chandni Chowk
3rd floor, Kolkata - 700 013
Ph: 2352-8940/334-4140,(Resi) 2352-8387/9885

KRISHNA JUTE COMPANY
Jute Broker & Dealer
9, India Exchange Place, Kolkata - 700 001
Phone : 2220-0874/9372, 2221-0246, 30229372

ELECTO PLASTIC PRODUCTS PVT. LTD.
22 Rabindra Sarani, Kolkata - 700 073
Phone : 2236-3028, 2237-4039

BHEEKAM CHAND DEEP CHAND BHURA
M/s. D. C. Group Pvt. Ltd, Sagar Estate, 5th Floor
2, Clive Ghat Street, Kolkata - 700 001
Phone : 2220-5229/5121

MOUJIRAM PANNALAL
Citizen Umbrella
45, Armenian Street, Kolkata - 700 001
Ph : (Shop) 2242-4483/2248-8086,
(O) 2268-1396/30924653, Fax : 2271-2151,

ROYAL TOUCH OVERSEAS CORPORATION
47, Pandit Purushottam Roy Street, 2nd Floor,
Kolkata - 700 007, Phone : (033)2270-1329, 2272-1033
Fax : 91-33-22702413

NAKODA METAL
Deals in all kinds of Aluminium
32A Brabourne Road, Kolkata - 700 001
Ph: 2235-2076, 2235-5701

MUSICAL FILMS (P) LTD
9A, Esplanade East, Kolkata - 700 069

SAGAR MAL SURESH KUMAR
187, Rabindra Sarani, Kolkata - 700 007
Ph: Gaddy- 2273-1766, 2268-8846
Mobile: 9331019835, Resi : 2355-9641/7196

B.W.M.INTERNATIONAL
Manufacturers & Exporters
Peerkhanpur Road, Bhadohi - 221401 (U.P.)
Ph: (O) 05414-25178, 25779, 25778
Fax: 05414-25378 (U.P.) 0151-202256 (Bikaner)

DR. NARENDRA L. PARSON & RITA PARSON
18531 Valley Drive
Villa Park, California 92667 U.S.A.
Phone : 714-998-1447714998-2726,
Fax : 7147717607

V.S. JAIN
Royal Gems INC.
632 Vine Street, Suit# 421
Cincinnati OH 45202
Phone : 1-800-627-6339

RANJIT SINGHI
Singhi Exports (P) Ltd.
P15 New C.I.T. Road
Kolkata - 700 073

RAJIB DOOGAR
305, East Tomaras Avenue
Savoy, IL 61874-9495
USA
Ph : 001-217-355-0174/0187, e-mail : doogar@uiuc.edu

SMT. KUSUM KUMARI DOOGAR
C/o Shri P.K. Doogar,
Amil Khata, P.O. Jiaganj, Dist: Murshidabad, Pin- 742123
West Bengal, Phone: 03483-56896

M/S. SETHIA OIL INDUSTRIES LTD.
Manufactureres of De oiled cakes & Refined oil.
Lucknow Road, PO. Sitapur - 261001 (U.P.)
Phone: 05862/42017/42073

M/S. BEEKAY VANIJYA PVT. LTD.
City Centre, 19, Synagogue Street
5th Floor, Room No. 534-535, Kolkata - 700 001
Phone: 2210-3239, 2232-0144, 2238-7281
Fax: 033-2210-3253 (M) 9831001739
e-mail : bktarfab@satyam.net.in

जो हिंसात्मक प्रवृत्ति से विलग है,
वही बुद्ध, ज्ञानी हैं

WITH BEST WISHES

DEEPAK KUMAR SANDEEP KUMAR NAHATA
Dealers in Diamond
Manufactures of Precious & Semi Precious Ornaments
63A, Burtolla Street, Kolkata - 700 007,
Phone: (G) 2268-0900 (M) 9830094325

DHANDHIA BROS
6/1 Hara Prasad Dey lane,
Kolkata - 700 007
Phone: (R) 2269-6241/2950 (O) 2239-0581

In the Sweet Memory of my mother
LATE SOVABOTI DUSAJ
Shri Manilal Susaj
6A, Rabindra Sarani, Kolkata - 700 001
Phone : 2237-5869 / 6476, Mobil : 98301017091, 9830142191

With Best Compliment from :-
SURANA WOOLEN PVT. LTD.
MANUFACTURERS * IMPORTERS * EXPORTERS
67-A, Industrial Area, Rani Bazar,
Bikaner - 334 001 (India)
Phone : 22549302, 22544163 Mills
22201962, 22545065 Resi
Fax : 0151 - 22201960
E-mail : suranawl@datainfosys.net

In the memory of Badindrapat Singhji Dugar
GAUTAM DUGAR
34/1/K, Ballygunge Circular Road
Kalkata - 700 019
Phone: (O) 2475-1109/6835
(R) 2474-3566, (M) 31022126

ARIHANT JEWELLERS
Shri Mahendra Singh Nahata
M/s BB Enterprises
8A, Metro Palaza, 8th Floor 1,Ho Chi Minh Sarani,
Kolkata - 700 071, Ph: 2288 1565 / 1603

M/s. MUKUND JEWELLERS
manufactures of American Diamand
Jewellery, Gold & Silver Goods &
Dealers in imitation Jewellery
P-37A, Kalakar Street,
Kolkata - 700 007, Ph: 2232 3876

KAMAL SINGH KARNAWAT
7,Khelat Ghosh Lane, Kolkata - 700 006
Dealers in Diamonds Precious Stones
Ph: (R) 2259-3885, (M) 03332391278

N. K. JEWELLERS
Valuable Stones, Silver wares
Authorised Dealers: Titan, Timex & H. M. T.
2, Kali Krishna Tagore Street (Opp. Ganesh Talkies)
Kolkata - 700 007 (Phone : 2239-7607)

RATAN LAL DUNGARIA
16B, Ashutosh Mukherjee Road
Kolkata - 700 020, Ph: (Resi) 2455-3586

M/S. PARSON BROTHERS
18B, Sukeas Lane, Kolkata - 700 007
Phone: 2242-3870

KESARIA & CO.
Jute Tea Blenders & Packeteers Since 1921
2, Lal Bazar Street, Todi Chambers, 5th Floor
Kolkata - 700 001
Ph: (O) 2248-8576/0669/1242
(Resi) 2225-5514, 2237-8208, 2229-1783

With Best Wishes

INDUSTRIAL PUMPS & MOTOR AGENCIES

40, Strand Road, 4th Floor, R.N.3, Kolkata - 700 001

M.L. CHOPRA & CO.

Freight & Chartering Brokers

12-B, N. S. Road; Kolkata - 1

PH : 2220 5059 / 2220 1130, EMAIL : freya@cal.vsnl.co.in

With Best Compliments From-

STEELUX INDIA; CIVIL CONTACTORS

13/5 Hazi Jakaria Lane, Kolkata - 700 006

ABL INTERNATIONAL LTD.

1, Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 071.

Ph: 2282-7615/7617/2726, Gram : Sudera

SHIV KUMAR JAIN

"Mineral House"

27A, Camac Street, Kolkata - 700 016

Ph: (Off) 2247-7880, 2247-8663, Res) 2247-8128, 2247-9546

MAHENDRA TATER

147, M. G. Road

Kolkata - 700 007, Phone : 2227-1857

M/S. SARAT CHATTERJEE& CO. (VSP) PVT. LTD.

Regd Office 2, Clive Ghat Street, (N. C. Dutta Sarani)

2nd Floor, Room No. 10, Kolkata - 700 001

Ph: 2220-7162, 2261-0540, Fax : (91)(33)2220 6400

e-mail: sccbss@cal2.vsnl.net.in

APARAJITA BOYED
M/s. Suravee Business Services Pvt. Ltd.
9/10, Sitanath Bose Lane,
Salkia, Howrah - 711 106, Ph: 2665-3666/2272
e-mail: Suravee@cal2.vsnl.net.in / sona@cal3.vsnl.net.in

SHRI JAIN SWETAMBER SEVA SAMITI
13, Narayan Prasad Babu Lane
Kolkata - 700 007, Ph: 2269-1408

BADALIA GEMS PVT. LTD.
BADALIA HOUSE
66/3, Beadon Street, Kolkata - 700 006
Phone : (O) 2554-8999/8997 (R) 2533-9985
Fax : 033 5548999, e-mail : shashibadlia@usa.net

CREATIVE
12, Dargah Road, Post Box 16127, Kolkata - 700 017
Ph: 2240 3758 / 3450 / 1690 / 0514
Fax : (033) 2240 0098, 2247 1833

JAIPUR EMPORIUM JEWELLERS
Anandlok
227 A. J. C. Bose Road, Kolkata - 700 020
Ph: 2280-0494, 2287-2650, Resi : 2358-0602, (M) 31074937

DR. G. C. GULGULIA
10, middleton Street, Kolkata - 700 071
Ph: (R) 22291925 (C) 22174695

CALTRONIX
12 India Exchange Place, 3rd Floor, Kolkata - 700 001
Phone: 2220 1958/4110

PABITRA KUMAR DOOGAR
Amil Khata, P.O. Jiaganj, Dist: Murshidabad, Pin- 742123
West Bengal, Phone: 03483-56896

SHRI VIJAY NAHATA
58, Walver Hallow Road
Upper Brook VileNew York - 11545
E-mail : nahata@aol.com

In the sweet memory of our mother
Late Karuna Kumari Kuthari
Jyoti Kumar Kuthari
12, India Exchange Place, Kolkata - 700 001
Phone : 2220 3142 (O) 2475 0995, 2476 1803 (R)
Ranjan Kumar Kuthari
1A, Vidya Sagar Street, Kolkata - 700 009
Phone : 2350 2173, 2351 6969

With Best Compliments from :-
22, Strand Road
2nd Floor
Kolkata - 700 001
Phone : 22131484, Fax : 22131488

JAIN FOOD
NOW AT
GARDEN CAFE
CALL FOR PARTY ORDER - 2439 9346
8/1 Alipore Road, Phone : 2439 9346, 2280 1582
Garden Cafe Take Away : Unnayan, Survey Park
(E. M. Bye Pass) Phone : 2418 8852

In the memory of my father
Late Nawaratan mull Singhvi
N. M. SINGHVI
3E, UPASANA, 48, Kali Temple Road
Kolkata - 700 026, Phone : 2466 8186 (R)

ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो
सिद्ध, अरिहन्त को मन में रमाते चलो,
वक्त आयेगा ऐसा कभी न कभी
सिद्धि पायेंगे हम भी कभी न कभी।

KUSUM CHANACHUR

Founder : Late. Sikhar Chand Churoria

Kusum
QUALITY PRODUCT

Our Quality Product of :

Anusandhan
Kolkata Nasta
Badsha Khan
Picnic
Raja
Shubham
Bhaonagari Ghantia
Jocker
Lajawab
Papri Ghantia
Rim Jhim
Tinku

MANUFACTURED BY

M/s. K. K. Food Product
Prop. Anil Kumar, Sunil Kumar Churoria
P. O. Azimganj, Dist: Murshidabad
Pin No.- 742122, West Bengal
Phone No.: 03483-253232,
Fax No.: 03483-253566

KOLKATA ADDRESS:

36, Maharshi Debendra Road, 3rd Floor Room No.- 308
Kolkata - 700 006, Phone No.: 2259-6990, 3093-2081
Fax No.: 033-2259-6989, (M) 9830423668

शस्त्र हिंसा एक से एक बढ़कर है।
किन्तु अशस्त्र अहिंसा से बढ़कर कोई शस्त्र नहीं।
अर्थात् अहिंसा से बढ़कर कोई साधना नहीं है।

THE GANGES MANUFACTURING COMPANY LIMITED

Chatterjee International Centre
33A, Jawaharlal Nehru Road,
6th Floor, Flat No. A-1
Kolkata - 700 071

Phone:

Gram "GANGJUTMIL"
Fax: + 91-33-245-7591
Telex: 021-2101 GANG IN

2226-0881
2226-0883
2226-6283
2226-6953

Mill

BANSBERIA

Dist: HOOGHLY
Pin-712 502
Phone: 2634-6441/2644-6442
Fax: 2634 6287

जैन मत तब से प्रचलित है
जबसे संसार में सृष्टि का आरम्भ हुआ।
मुझे इसमें किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है
कि जैन धर्म वैदान्तिक दर्शनों से पूर्व का हैं।

Dr. Satish Chandra
Principal Sanskrit College, Kolkata

Estd. Quality Since 1940

BHANSALI

Quality. Innovation. Reliability

BHANSALI UDYOG PVT. LTD.

(Formerly: Laxman Singh Jariwala)

Balwant Jain - Chairman

A - 42, Mayapuri, Phase - 1, New Delhi - 110 064
Phone: 28114496, 28115086, 28115203
Fax: 28116184
e-mail: bhansali@mantraonline.com

शुभ कामनाओं सहित —

मनुष्य जीवन में ही सत्य कार्य करने का अवसर उपलब्ध होता है।

अहिंसा अमृत है, हिंसा विष है।

ACHARYA SRI KAILASSAGARSURI GYANMANDIR
SRI MAHAVIR JAIN ARADHANA KENDRA
Koba, Gandhinagar-382 009.
Phone : (079) 23276252, 23276204-0

अनाम

PICK UP ALL U WANT UNDER ONE ROOF

▶▶Groceries ▶▶ Edible Oils ▶▶ Personal Care ▶▶ Imported Pastas, Chocolates, Sauces, Gift Items, etc. ▶▶Hygiene ▶▶Baby Care ▶▶Stationery ▶▶other Household Items

Stop 2 Shop

AT YOUR COMPLETE SUPERMARKET

NAHAR PARK
45/4A, Chakraberia Road (S), Kolkata - 700025
(Near Jadu Babu's Bazar)
Phone: 24544696

Store Timings : 7.00 am to 9pm
All days open except Thursday

FREE HOME DELIVERY

All Prices BELOW M.R.P.

PARKING AVAILABLE

28 water supply schemes
315,000 metres of pipelines
110,000 kilowatts of pumping stations
180,000 million litres of treated water
13,000 kilowatts of hydel power plants

(And in place where Columbı 'eared to tread)

SPML

Engineering Life

SUBHASH PROJECTS & MARKETING LIMITED

113 Park street, Kolkata 700 016

Tel : 2229 8228, Fax : 2229 3882, 2245 7562

e-mail : info@subhash.com, website: www.subhash.com

Head Office: 113 Park Street, 3rd floor, South Block, Kolkata-700016 Ph:(033)2229-8228.
Registered Office: Subhash House, F-27/2 Okhla Industrial area, Phase II New Delhi-110 020
Ph: (011) 692 7091-94, Fax (011) 684 6003. Regional Office: 8/2 Ulsoor Road,
Bangalore 560-042 Ph: (080) 559 5508-15, Fax: (080) 559-5580.

Laying pipelines across one of the nation's driest region, braving temparature of 50° C.

Executing the entire water intake and water carrier system including treatment and allied civil works for the mammoth Bakreswar Thermal Power Project.

Bulling the water supply, fire fighting and effluent disposal system with deep pump houses in the waterlogged seashore of Paradip.

Creating the highest head-water supply scheme in a single pumping station in the world at Lunglei in Mizoram-at 880 metres, no less.

Building a floating pumping station on the fierce Brahmaputra.

Ascending 11,000 feet in snow laden Arunachal Pradesh to create an all powerful hydro-electric plant.

Delivering the impossible, on time and perfectly is the hallmark of Subhash Projects and Marketing Limited. Add to that our credo of when you dare, then alone you do. Resulting in a string of acheivements. Under the most arduous of conditions. Fulfilling the most unlikely of dreams.

Using the most advanced technology and equipment, we are known for our innovative solution. Coupled with the financial strength to back our guarantees.

Be it engineering design. Construction work or construction management. Be it environmental, infrastructural, civil and power projects. The truth is we design, build, operate and maintain with equal skill. Moreover, we follow the foolproof Engineering, Procurement and Construction System. Simply put, we are a single point responsibility. A one stop shop.

So, next time, somebody su[illegible] that deserts by definition [illegible]e dryness, you recommend he v[illegible]s for a lesson in reality.

With Best Compliments

Since 1926

B.C. JAIN JEWELLERS PVT. LTD.

22, Camac Street
3rd floor, Block-A
Kolkata - 700 007
Phone: 2283 6203 / 6204 / 0056
Fax : 2283 6643
Resi : 2358 6901, 2359 5054

Postal Registration No. SSRM/Kol/RMS/WB/R.N.P.-070/2004-2006
Vol. XXIX. No. 2 TITTHAYARA May 2005
Registered with the Registrar of Newspapers for India
Under R. N. No. 3018/77

ज्ञानी वही है जो किसी भी प्राणी की हिंसा न करें। सभी जीव जीना चाहते है मरना कोई नहीं चाहता अतः संसार के त्रस और स्थावर सभी प्राणियों को जाने या अनजाने में न मारना चाहिये, न दूसरों से मरवाना चाहिये, ना ही मन वचन काया से किसी को पीड़ा पहुँचाना चाहिये।

Kamal Singh Rampuria
Rampuria Mansions

17/3, Mukhram Kanoria Road, Howrah
Phone No. : 2666-7212/7225